कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

आवरण कथा

कार्यकर्ता महाकुंभ रैली, भोपाल (मध्य प्रदेश)..... 7

रैलियां

त्रिची (तमिलनाडु)..... 11
दिल्ली..... 12

लेख

राहुल नहीं, प्रणव दा ने बचाई इज्जत
– **लालकृष्ण आडवाणी**..... 19

राइट टू रिजेक्ट: हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
– **नरेन्द्र मोदी**..... 21

सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों को बचाने वाले विधेयक का विरोध...
– **अरुण जेटली**..... 23

अनादर का एक और अध्याय
– **हृदय नारायण दीक्षित**..... 25

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश
–**जोगिन्दर सिंह**..... 27

अन्य

भाजपा ने सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन..... 15
बाल आपटे की पुस्तक 'नेशन फर्स्ट' का विमोचन..... 30

मुख पृष्ठ : *कार्यकर्ता महाकुंभ रैली, भोपाल (मध्य प्रदेश)*

शुभकामनाएं!

कमल संदेश के सभी पाठकों को
विजय दशमी
की हार्दिक शुभकामनाएं!

बोध कथा

निजाम का दान

यह उन दिनों की बात है जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। वे चाहते थे कि समर्थ लोग खास तौर से मदद करें। इसलिए वे सेठों और राजा-महाराजाओं से भी संपर्क कर रहे थे।

इसी सिलसिले में वह हैदराबाद के निजाम के पास भी पहुंचे। पर निजाम ने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। पर मालवीय जी भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। वह सही मौके की ताक में थे। वे वहीं डटे रहे।

संयोग से उन्हीं दिनों वहां एक वृद्ध सेठ का निधन हो गया। सज-धज के साथ उसकी शवयात्रा निकली। शवयात्रा में उसके घर वाले पैसों की बारिश करते हुए चल रहे थे। मालवीय जी के दिमाग में एक नायाब विचार आया। वह भी उस शवयात्रा में शामिल हो गए। यही नहीं, वह पैसे भी उठाने लगे।

उन्हें ऐसा करते देख कर साथ चल रहे लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। वहां के उनके एक मित्र ने उनसे पूछ ही लिया- ये आप क्या रहे हैं? लोग क्या कहेंगे। मालवीय जी झट से बोले- भाई ! क्या करूं, तुम्हारे निजाम ने कुछ भी देने से इंकार कर दिया है। मुझे तो अब खाली हाथ ही बनारस लौटना होगा। अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई कितना लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। यह कहने में अच्छा तो लगेगा नहीं कि मैं खाली हाथ ही आया हूं। इसलिए सोच रहा हूं कि इस तरह से कुछ पैसे जमा कर लूं ताकि लोगों को बता सकूं कि हैदराबाद से यह राशि मिली है।

यह बात फैलते-फैलते निजाम तक जा पहुंची। इससे निजाम बड़ा लज्जित हुआ। फिर खुद आकर उसने मालवीय जी से माफी मांगी और विश्वविद्यालय के लिए दिल खोलकर दान दिया।

संकलन : राधा नाचीज

(नवभारत टाइम्स से साभार)

व्यंग्य चित्र

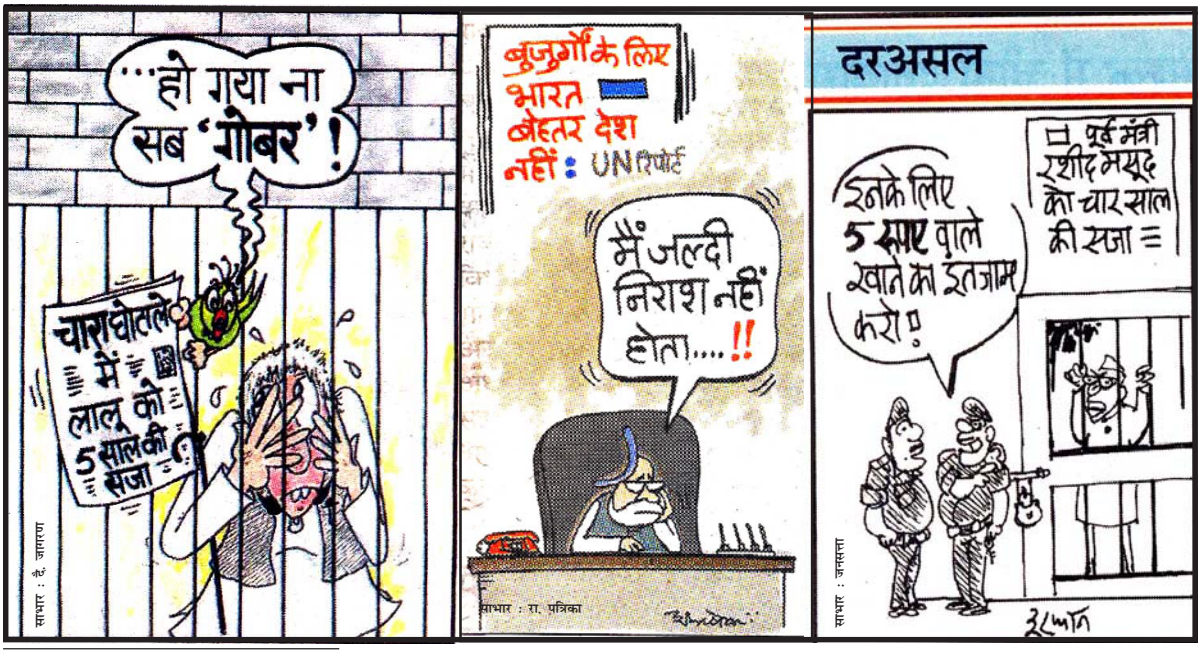

'घर-घर कमल खिलेगा'

कार्यकर्ता गौरव दिवस 2010 का यादगार कार्यक्रम था। देश में भाजपा की प्रत्येक राज्य इकाई ने इस अवधारणा की न केवल चर्चा की बल्कि प्रशंसा की। संख्या तो लाखों में थी ही पर उस कार्यकर्ता का, जो दल के लिए जीवन खपा देता है, उसका भी एक दिन गौरव का होना चाहिए, और यही कारण था कि सबने उस कार्यक्रम को सराहा और भूरि-भूरि प्रशंसा की। मप्र भाजपा इकाई अभिनव प्रयोग के लिए सच में देश में अपना एक अलग स्थान बना चुकी है।

25 सितम्बर 2013.

स्थान- भोपाल (म.प्र.) स्थित जम्बूरी मैदान।

कार्यकर्ताओं की संख्या- 7 लाख 21 हजार।

पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती।

सच में सवा लाख कार्यकर्ताओं ने अपने वैचारिक पुरोधा एवं एकात्म मानवदर्शन के मंत्र द्रष्टा पं. दीनदयाल उपाध्याय को एक स्थान पर एकत्रित होकर श्रद्धांजलि दी। मध्यप्रदेश भाजपा को कार्यकर्तारूपी मणिमाला से पिरोनेवाले पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे को भी याद किया गया। सभी नेतृत्व ने और एक-एक कार्यकर्ता ने उन्हें स्मरण किया। मंच पर सभी शीर्षस्थ राष्ट्रीय नेता थे। और मंच के सामने वे सभी थे जो जंग-ए-चुनाव में खून-पसीना एक कर कमल के लिए पोलिंग बूथ पर लड़ते हैं।

अद्भुत दृश्य था। कार्यकर्ता महाकुंभ, जो नाम दिया गया था, वह स्वयं में सार्थक हो रहा था। प्रत्येक नेता ने यह बात कही कि हमने अपनी जिंदगी में कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा जमघट और महाकुंभ पूर्व में कभी नहीं देखा। नरमुंड ही नरमुंड दिख रहे थे। सबके मुंह पर एक ही बात थी। व्यवस्था कैसे की होगी ? सच में अद्भुत व्यवस्था थी। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करते हुए गये। दल के विस्तार के विस्तारिक क्षितिज को अपनी आंखों से देखकर कार्यकर्ता गौरवान्वित थे। अपने विस्तार को देखकर स्वाभिमान जगता और अभिमान घटता है। सबने मन में एक बात ठानी कि मध्यप्रदेश में तीसरी बार कमल खिलाना और भाजपा को लाना है। नव-इतिहास रचने की दिशा में सभी कार्यकर्ता धीरे-धीरे आरूढ़ हो रहे थे। अनेकता में एकता का समुद्र उमड़ा हुआ था। हर जिले का अलग-अलग परिवेश, परिधान, लोकगीत, संगीत, सभी को लुभा रहा था। मंच पर भी जहां उत्तर भारत, मध्य भारत, भारत की राजधानी अपनी मौजूदगी जता रहा था वहीं दक्षिण भी पीछे नहीं था। दक्षिण से वेंकैया नायडू और अनंत कुमार उपस्थित थे। डॉ. मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह जी उत्तर भारत की मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। उमाजी तो मध्यप्रदेश-उत्तर प्रदेश दोनों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। सिरमौर थे आडवाणी जी, जिन्होंने महाकुंभ का उद्घाटन किया।

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी हर के दिलों पर छा गए थे। "आंधी नहीं तूफान है - शिवराज सिंह चौहान है" जैसे गगनभेदी नारों से सबने अपने नेता का सम्मान किया। अतिथियों का स्वागत भाजपा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने किया। मंच पर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व

कर रहे थे। मंच जीवंत था। राज्य इकाई के सभी प्रमुख लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों का मंच पर समागम हो रहा था। नेताओं के कटआऊट जीवंत लग रहे थे। सभी नेताओं ने मुक्त कंठ से ईश्वर से एक ही बात कही कि मप्र में भाजपा को इतिहास रचने का अवसर जरूर प्रदान कीजिए।

समग्रता में वर्णन करने पर शब्द कम पड़ जाएंगे। पर मध्यप्रदेश भाजपा ने यह तय किया है कि वे प्रत्येक प्रमुख नेताओं को और राज्य इकाइयों को कार्यकर्ता महाकुंभ की सीडी भेजकर उन्हें भी आनन्द लेने का अवसर प्रदान करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। दीवाली और दशहरा के पर्व और पर्वों का विजयी भाव हर के चेहरे पर पढ़ा जा सकता था। इस महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत थी कि भोपाल की जनता को ट्रैफिक व्यवस्था में तनिक भी कठिनाई नहीं हुई। शहर के बाहर लोगों का आना-जाना लगा रहा। समाचार-पत्रों ने इस व्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा की। अन्नपूर्णा भंडार में सभी कार्यकर्ताओं ने भोजन का भी आनंद लिया। सभी विधायक-मंत्री इस व्यवस्था में जुटे थे। भोपाल के कार्यकर्ताओं की अमिट-मेहनत को सराहे बिना इसकी पूर्णाहुति संभव नहीं।

अंत में सबने कहा, "जम्बूरी जगेगा- मध्यप्रदेश में घर-घर कमल खिलेगा।"

अध्यादेश पर कांग्रेस की किरकिरी

मसखरी कांग्रेस के साथ होनी चाहिए न कि देश के साथ। देश किसी दल का नहीं होता। देश देश का होता है। भारत का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री होता है। विश्व प्रधानमंत्री में भारत के प्रशासनिक क्षमता का दर्शन करता है। आंतरिक तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस के कद्दावर नेता हो सकते हैं पर प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री तो डॉ. मनमोहन सिंह ही हैं, राहुल गांधी नहीं।

आखिर क्या हो गया था राहुल गांधी को? क्यों बेकाबू हो गये थे? शब्दों पर से नियंत्रण क्यों हट गया था। अमर्यादित आचरण क्यों प्रस्तुत किया गया? आखिर किसने कहा था कि अपना जमीर जगाओ और डॉ. मनमोहन सिंह को जमीन दिखाओ। डॉ. मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के नहीं।

दागी नेताओं पर लाया गया अध्यादेश कांग्रेस की भयंकर गलती थी। वैसे महात्मा गांधी से चली कांग्रेस सोनिया गांधी तक आते-आते तक दागी नेताओं की ही कांग्रेस हो गयी है। पर सिर छिपाने के लिए तो ऐसा अध्यादेश नहीं लाना था। एक बार लोकसभा के पहले अध्यक्ष मावलंकरजी ने 17 जुलाई 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू को लिखा कि "अध्यादेश जारी करना अलोकतांत्रिक है।" जवाब में पं. नेहरू ने लिखा कि "हम अध्यादेश जारी करने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं।" अध्यादेश लाने के पहले एक नहीं अनेकों बार विचार किया जाता है। कांग्रेस ने क्यों नहीं विचार किया? डॉ. मनमोहन सिंह कैबिनेट का कहना है कि इस पर दो-दो बार विचार हुआ उस समय कांग्रेस क्यों चुप रहीं? कहीं न कहीं दाल में काला है, इसलिए डॉ. मनमोहन के मुंह पर ताला है। वे विदेश में थे और उनके खिलाफ राहुल गांधी गरज रहे थे। विदेश से आते डॉ. मनमोहन सिंह भी गरजे पर बरस नहीं पाए और अन्ततोगत्वा उन्हें अपने ही द्वारा लाए गए अध्यादेश को वापस लेना पड़ा। कांग्रेस को तलाश करना होगा दोषी कौन? कांग्रेस या डॉ. मनमोहन सिंह? क्योंकि यह बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस और डॉ. मनमोहन में बहुत दूरियां हैं। आपकी दूरियां भले ही बनी रहें पर देश को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए।

राहुल गांधी आपे से बाहर तब हुए जब उन्हें लगा कि श्रेय की होड़ में कांग्रेस पीछे रह गई और भाजपा ने राष्ट्रपति को लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के नेतृत्व में ज्ञापन देकर बाजी मार ली। कहा तो यह जा रहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुकर्जी अगर नहीं कहते तो अध्यादेश देश पर थोप ही दिया होता। राहुल गांधी डर गए, देश का मूड समझ गए। उन्हें लगा कि बाजी हाथ से निकल गई तो वे शब्दों पर नियंत्रण खो बैठे। ■

कार्यकर्ता महाकुंभ रैली, भोपाल (मध्य प्रदेश)

मध्यप्रदेश में एकात्ममानवदर्शन धरातल पर उतरा : नरेन्द्र मोदी

25 सितम्बर को भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुआ। भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ रैली में पूरे प्रदेश से 7 लाख 21 हजार कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने इतिहास रच दिया। सभास्थल पर कार्यकर्ताओं का हुजुम सुबह 7 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गया था। जम्बूरी मैदान भाजपामय हो गया था। पार्टी ध्वज, बैनर, लड़ियां और शीर्षस्थ नेताओं के कटआउट से पूरा मैदान सुसज्जित था। महिला कार्यकर्ता पार्टी ध्वज के रंग की साड़ी पहनकर आई थीं, जबकि युवाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर वाली टीशर्ट पहन रखी थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। पार्श्वगायक श्री रूपकुमार राठौर और उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेरणास्पद गीत गाए। यहां प्रस्तुत है संक्षिप्त समाचार-

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार एवं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। शिवराजसिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री का दायित्व संभालेंगे। शिवराजसिंह चौहान ने एकात्ममानवदर्शन को धरातल पर उतारा है। उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनसे एकात्म मानवदर्शन का जो उल्लेख सुना था उसे मैंने मध्यप्रदेश में धरातल पर उतरते देखकर प्रभावित हुआ हूं।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी समावेशी इन्क्लूसिव ग्रोथ की बात नहीं की लेकिन जब कांग्रेस ने भाजपा शासित राज्यों में समावेशी विकास के बढ़ते चरण देखें तो दंग होकर रह गयी। उन्हें लगा कि भाजपा सरकारों में जन कल्याण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। उन्होंने गरीबों के प्रति कांग्रेस की मजाक का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था जिसे जारी रखा गया लेकिन जब इसकी समीक्षा की गयी तो देखने में यह आया कि गरीबों के लिए समर्पित इस कार्यक्रम में यदि कहीं काम हुआ तो वे भाजपा शासित राज्य है। कांग्रेस को यह रास नहीं आया इसलिए उसने आगे चलकर

20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा का सार्वजनिक प्रदर्शन और प्रचार ही बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की पटवा सरकार ने मध्यप्रदेश में गरीबों के लिए योजनाएं आरंभ की थी, लेकिन बाद में दिग्विजय सिंह सरकार ने उन्हें बंद कर दिया। कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगाह किया कि जरा सी चूक

में समाज कितना पिछड़ जाता है इसलिए हमें चुनाव को हल्के से नहीं लेना चाहिए और पूरी सावधानी और ऐहतियात के साथ चुनाव में जुटना है। भाजपा ने बीमारू राज्य को विकासशील राज्य में बदला है अब ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए कि जिसमें प्रदेश में घड़ी के कांटे उल्टे घूमे।

उन्होंने कहा कि हर नागरिक भारत माता की संतान है उसे सुख समृद्धि का हक है। कांग्रेस कभी उनके लिए काम नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा कोरी राजनीति की है। हमें सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा राज्यों में कांग्रेस हर कोशिश कर रही है कि विकास के कदम अवरूद्ध हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पस्त हो चुकी है और ऐसा लगता है कि वह चुनाव मैदान में उतरने के बजाए सीबीआई को गैर कांग्रेसी दलों से मुकाबले के लिए उतार रही है। कांग्रेस के इस दमन चक्र का हमें डटकर मुकाबला करना है। उन्होंने कांग्रेस को आगाह किया कि उसके दमन चक्र का बदला जनता लेगी। हिन्दुस्तान कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया है इसका हिसाब लगाना टेढ़ी खीर है यदि आंकड़े जमीन पर उतारे जाएं तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक आंकड़ों की इबारत खत्म नहीं होगी। चुनाव पहले भी होते रहे है। हार और जीत लगी रहती है, लेकिन यह चुनाव कुछ विशेष महत्व रखते है इसमें यह तय होगा कि हमें अपनी संतान को उसके हकों से वंचित नहीं करना क्योंकि कांग्रेस ने अब तक जनता का हक मारा है और उसने पिछड़ेपन में वोट बैंक देखा है इसलिए उसे विकास कबूल नहीं है। इंसानी तकलीफों से मुक्ति के लिए हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है।

उन्होंने कहा कि आजादी के संघर्ष में कांग्रेस एकमात्र आंदोलन था और आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य समाप्त हो चुका है अब उसे विसर्जित कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस को स्वनामधन्य कांग्रेसी विसर्जित नहीं करना चाहते है बल्कि उसे अपने कारोबार लाभ, लूट का धंधा बनाए रखना चाहते है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस को विसर्जित करने का अनुष्ठान पूर्ण करेंगे। गांधी जी की इच्छाएं कार्यकर्ताओं को ही पूरी करना है।

मुख्यमंत्री नहीं जनसेवक के रूप में शिवराजजी ने छवि बनायी है : राजनाथ सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में शिवराजसिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में एक जनसेवक की छवि बनायी है, जिसका पार्टी को लाभ मिला है और जनता से रागात्मक संबंध बने है। भारतीय जनता पार्टी ने पं. दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानवदर्शन को क्रियान्वित किया है और उसे शिवराजसिंह चौहान ने धरातल पर उतारकर जन जन की नब्ज को स्पर्श किया है। गांव, गरीब, किसान और बुजुर्ग की भी चिंता की है। उन्होंने कहा कि यह देश में संघीय व्यवस्था

का अभिशाप है कि केन्द्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की गुड गवर्नेंस और विकास को पचा नहीं पा रही है और भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव करती है इसका दंश मध्यप्रदेश को भी भुगतना पड़ा है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संघीय व्यवस्था में राज्यों के साथ कोई भेदभाव पक्षपात किए जाने की आवश्यकता नहीं है। देश में एनडीए की सरकार 6 वर्षो तक रही तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किसी भी गैर भाजपा शासित राज्य को भेदभाव की शिकायत नहीं रही, क्योंकि राजनैतिक पूर्वाग्रह से हटकर सभी को समान रूप से मदद देकर प्रदेशों के विकास में केन्द्र सरकार ने सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने पिछले 10 वर्षो में महंगाई, भ्रष्टाचार, असुरक्षा की भावना का विस्तार किया है। एनडीए शासन में विपरीत परिस्थितियों में भी अटलजी की सरकार ने महंगाई पर काबू रखा और विकास को दहाई में पहुंचाया। कांग्रेस ने देश और विदेश में भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बनाया है।

आगामी चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त देगी भाजपा : लालकृष्ण आडवाणी

भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता महाकुंभ का उद्घाटन करते हुए भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री पद के पार्टी प्रत्याशी नरेन्द्र मोदी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की कल्पनाशीलता, दृढ़इच्छाशक्ति और रचनात्मक पहल की मुक्तकंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के रूप में हमने अच्छा काम किया है, लेकिन हम राज्यों में सत्ता में पहुंचे और केन्द्र में एनडीए की सरकार का गठन कर भारतीय जनता पार्टी ने विकास और सुशासन की जो राजनीति आरंभ की वह इतिहास में दर्ज है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए के घटक दल कांग्रेस को शिकस्त देंगे।

आज देश कुशासन के दौर से गुजर रहा है : डॉ. मुरली मनोहर जोशी

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का अर्थ आम आदमी को उसका हक दिलाना है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात में विकास मूर्त रूप ले चुका है। हमें राजस्थान और दिल्ली में भी विकास और स्वराज लाने के लिए वहां जीत हासिल करना है। नरेन्द्र मोदी के हाथ में सत्ता सूत्र आने के साथ भारत में विकास की नई यात्रा शुरू होगी और तरक्की के नए क्षितिज खुलेंगे। आज देश कुशासन के दौर से गुजर रहा है इसे समाप्त करने का संकल्प लेना है।

मध्यप्रदेश कृषि विकास के मामले में अद्वितीय : वेंकैया नायडू

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वैंकेया नायडू ने कहा कि मध्यप्रदेश विकास, कृषि विकास के मामले में अद्वितीय है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे सकारात्मक पहल के लिए भाजपा की उपलब्धियों के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जन जन के पास पहुंचे और गर्व के साथ उनका समर्थन हासिल करने के लिए संवाद करें।

यह चुनाव ऐतिहासिक होगा : सुषमा स्वराज

रैली को सम्बोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कांग्रेस-भाजपा चुनावी संघर्ष के प्रसंग में महाभारत का दृष्टांत प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि ''ये चुनाव हिम्मत की होगी।'' यह कलियुग का महाभारत है और यह द्वापर युग के महाभारत से अलग किस्म का है जिसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे।''

भाजपा सरकार ने शासन का चरित्र और चित्र बदल दिया है : अरुण जेटली

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह कहने में कोई संकोच नहीं है इतना जनसैलाब किसी राज्य में नहीं देखा गया। यह कार्यकर्ताओं के परिश्रम की कामयाबी का फल है। भाजपा शासन ने मध्यप्रदेश का जो नक्शा बदला है और जनता में उत्साह भरा है यह उसी उत्साह की मानसिकता का प्रतिबिंब है।

भाजपा सरकार ने शासन का चरित्र और चित्र बदल दिया है। मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और दिल्ली में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। उन्होंने कहा कि आज देश में भ्रष्टाचार का बोल बाला है। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश में नेतृत्वहीनता के कारण सुरक्षा और विकास खतरे में है। समय का तकाजा है कि केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार बेदखल हो और भाजपा के नेतृत्व में ऐसी सरकार का गठन हो जो देश

को विकास सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। यह नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संभव होगा।

मध्यप्रदेश में विकास की नई इबारत लिखा गयी है : उमाश्री भारती

पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती उमाश्री भारती ने कहा कि गरीब का सम्मान उसकी झोंपड़ी में जाकर खाना खाने से नहीं होता है बल्कि भाजपा ने गरीबों के लिए मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खोल कर किया है। विकास की मध्यप्रदेश में नई इबारत लिखा गयी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और देश में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुपर पॉवर बनेगा।

विधानसभा चुनाव में भी कीर्तिमान रचेंगे : अनंत कुमार

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में पार्टी की शानदार विजय के साथ ही दिल्ली में एनडीए सरकार की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्थापना का मार्ग मध्यप्रदेश से आरंभ होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में विजय हासिल कर पार्टी कार्यकर्ता कीर्तिमान बनायेंगे।

कांग्रेस धौंस-डपट की राजनीति करना छोड़े : शिवराजसिंह चौहान

कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस काम के नाम पर शून्य है। विकास और सुशासन से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जनता में असर बनाने के लिए धौंस-डपट और गैर कांग्रेसी सरकारों को परेशान करने का काम कर रही है। बार-बार जांच एजेंसियों को पीछे लगाया जा रहा है। छापे मारने का डर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार को छापे मारने का शौक है तो वह राबर्ट वाड्रा जैसे लोगों पर रातों रात अरबपति बने उन पर छापा मारना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश में जितने घोटाले हुए है उनकी गिनती करना कठिन है। अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक घोटालों को गिना जा सकता है।

उन्होंने कहा कि 2008 में भाजपा की सरकार ने सात संकल्प लिए थे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी को पूरा कर दिया है। आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश में कोई भी गांव सड़क विहीन नहीं रहेगा। मध्यप्रदेश में 24 घंटा बिजली देने का चमत्कार भी हो चुका है। आजादी के बाद मध्यप्रदेश में 3000 मेगावाट बिजली बनती थी और मध्यप्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ था। भाजपा ने अपने 9 वर्षों के शासनकाल में 14 हजार मेगावाट की क्षमता का सृजन किया है। गांवों में 24 घंटा बिजली दी जा रही है। हर खेत को पानी देने के लिए योजना है। प्रदेश में जहां साढ़े सात लाख हैक्टेयर सिंचाई होती थी अब बढ़कर 25 लाख हैक्टैयर में हो रही है। नदी जोड़ने का सपना पूर कर रहे है। 5 अक्टूबर तक क्षिप्रा नर्मदा नदी जोड़ो का संकल्प पूर्ण कर लिया जायेगा और आचारसंहिता नहीं लगती तो उसका लोकार्पण भी कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई है इसका सर्वे कराया जा रहा है और राज्य सरकार किसानों को बीमा कंपनियों से एक एक पाई का भुगतान करायेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगीकरण का पर्यावरण बना है। हर कंपनी मध्प्रदेश की ओर रूख कर रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

हमारे पास समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है : नरेन्द्र सिंह तोमर

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे पास राष्ट्रीय नेतृत्व की पूंजी है और समर्पित कैडर है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री थावरचन्द गहलोत, डॉ. सत्यनारायण जटिया, अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फग्गनसिंह कुलस्ते, श्री आरिफ बेग ने समारोह को संबोधित किया।

पूर्व में श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, भाजपा प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. मुरलीमनोहर जोशी एवं श्री वैंकेया नायडू, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती उमा भारती एवं श्री प्रभात झा, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता सिंधिया के चित्रों पर पुष्पाजंलि अर्पित की और दीप प्रज्जवलित किया। ■

त्रिची (तमिलनाडू)

'इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंको'

भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने त्रिची (तमिलनाडू) में आयोजित विशाल रैली को संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत में श्री मोदी ने जम्मू में हुए आतंकी हमले और केन्या के नैरोबी में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और सभा में मौजूद लोगों से दो मिनट तक मौन रखने का आह्वान किया। श्री मोदी ने अपने भाषण में केंद्र की यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा।

पाकिस्तान से बातचीत करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए श्री मोदी ने कहा कि युद्ध से ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोली से मारे गए हैं। उन्होंने कहा, 'इटली के नौसैनिक हमारे मछुआरों की हत्या कर चले जाते हैं। पाकिस्तानी सैनिक हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते हैं। क्या आतंकी हमले पर हम चुप रह सकते हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान से बातचीत में जल्दी क्यों?' उन्होंने रैली में उपस्थित लोगों से पूछा, 'क्या हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए' तो भीड़ ने 'नहीं' में जवाब दिया। उन्होंने यह भी पूछा, 'हमारे लिए सरहद की सुरक्षा जरूरी है या दुश्मन से बातचीत।'

श्री मोदी ने कमजोर आर्थिक नीति और नरम विदेश नीति के मसले पर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'इस सरकार की वजह से न तो देश में माता-बहनें सलामत हैं, न तो सीमा पर तैनात जवान सलामत हैं, न तो चीन की सीमा पर हमारी जमीन सलामत है, गुजरात हो तमिलनाडु या केरल, कहीं भी हमारे मछुआरे सलामत नहीं है तो इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए।' श्री मोदी ने कहा, 'दिल्ली में बैठी सरकार ने रुपये को कमजोर कर दिया है। अगर यही हालत रही तो कल हमें रुपया सूक्ष्मदर्शी यंत्र से खोजना पड़ेगा। केंद्र सरकार बड़े पूंजीपतियों को अमीर बनाने का काम करती है लेकिन कर्ज चुकाने में असमर्थ छोटे कारोबारियों को खुदकुशी करने पर मजबूर करती है।'

हालांकि श्री मोदी ने अपना भाषण हिंदी और अंग्रेजी में दिया लेकिन उनकी बातें स्थानीय भाषा में एक दुभाषिये के जरिये भी सुनाई गई। श्री मोदी ने कुछ शब्द तमिल के भी कहे जिसका वहां मौजूद लोगों ने जोरदार स्वागत किया। श्री मोदी ने तमिलनाडु के लोगों को मेहनती और लगनशील करार देते हुए कहा कि यहां के लोग 'रॉयल' हैं। उन्होंने दावा किया कि गुजरात और तमिलनाडु कई मायने में एक जैसा है। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है जबकि इस कपास की सबसे अधिक खपत तमिलनाडु में होती है।

श्री मोदी ने भारतीय मछुआरों की समस्या के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'समुद्र तट पर बसे होने की वजह से गुजरात और तमिलनाडु की समस्या एक जैसी है। गुजरात के मछुआरों को पाकिस्तानी उठा ले जाते हैं जबकि तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई ले जाते हैं। इन मछुआरों को महीनों जेलों में बंद रखा जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। ऐसा दिल्ली की सरकार की वजह से हो रहा है। चाहे वह केरल हो, तमिलनाडु हो या गुजरात, अगर हमें समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे को सुरक्षित रखना है तो उन्हें बेरोकटोक रोजगार मुहैया कराना होगा और इसके लिए सबसे पहले दिल्ली की दुर्बल सरकार को हटाना होगा।'

श्री मोदी ने 'आधार' कार्ड योजना पर भी सवाल उठाए। उन्हों ने कहा, 'देश जानना चाहता है कि इस पर कितने

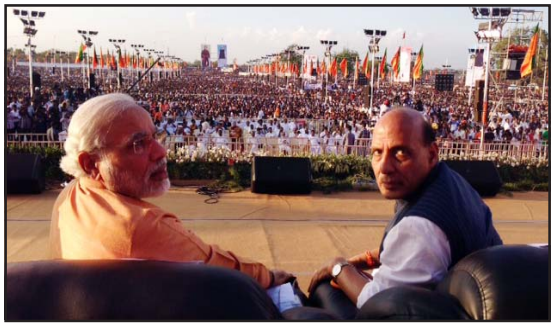

रुपये खर्च हुए। इस खर्चे से क्या फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर जो सवाल उठाए, उनका क्या हुआ।' श्री मोदी ने आरोप लगाया कि आधार कार्ड की वजह से देश में गैरकानूनी प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी।

श्री मोदी से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं की समस्या के प्रति हमेशा से चिंतित रही है और राजग सरकार के कार्यकाल में इस दिशा में काफी काम किया गया। उन्होंने कहा, 'राजग सरकार के दौरान महंगाई नहीं बढ़ी। हमारे मंत्री भ्रष्ट नहीं थे। आज जो कुछ हो रहा है, वह आपके सामने है।' ■

विकास रैली, दिल्ली

परिवारशाही ने लोकतंत्र का गला घोंटा : नरेंद्र मोदी

देश को गांधी छाप नोटों से भरे भ्रष्टाचार पर आधारित कुशासन की नहीं सुशासन की जरूरत है। यूपीए की 'डर्टी टीम' को केन्द्र सरकर से उखाड़ फैंकने तथा भाजपा की 'ड्रीम टीम' लाने की सिंहगर्जना 29 सितम्बर 2013 को भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली स्थित रोहिणी के जापानी पार्क में आयोजित महारैली में की।

लाखों के सैलाब को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने विदेश यात्रा पर गए पीएम की पगड़ी उछालने का काम किया। उन्होंने आह्वान किया कि लोग 2014 के चुनाव में तय करें कि यह देश अब संविधान के अनुसार चलेगा या 'शहजादे' की इच्छा के मुताबिक। उन्होंने कहा कि देश में हालात यह हैं कि दिल्ली में कई सरकारें दिखाई देती हैं- मां की सरकार, बेटे की सरकार, दामाद की सरकार। और यह सच है कि सरकार भ्रष्टाचार से बुरी तरह प्रभावित है। उन्होंने कहा कि यह देश सरकारों के बोझ तले दब गया है तथा हर तरफ भ्रष्टाचार हावी है। देश में यूपीए सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है तथा परिवारशाही ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को भ्रष्टाचार की लत एक शराबी की तरह लग गई है। पूरे एक घंटे तक दहाड़ते हुए मोदी ने कहा कि देश में भले ही गठबंधन की सरकार चल रही है लेकिन गठबंधन के दल अलग-अलग दिशा में चल रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसकी व्यापकता के कारण देश के भविष्य के समक्ष संकट पैदा हो गया है। दागी सांसदों से जुड़े अध्यादेश को सार्वजनिक तौर पर सिरे से खारिज करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री की पगड़ी उछालने का काम उनकी पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री का अपमान करने का पाप किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर पीएम देश का स्टेट्समैन होता है। प्रधानमंत्री की क्षमता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, ''गठबंधन के प्रधानमंत्री (मनमोहन सिंह) 'सरदार' हैं लेकिन 'असरदार' नहीं हैं। एक विभाग दूसरे विभाग के सामने खड़ा है। गठबंधन के दल पास-पास हैं लेकिन साथ-साथ नहीं हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा, ''2014 के आम चुनाव में डर्टी टीम (संप्रग की) को उखाड़ फैंके और ड्रीम टीम (भाजपा की) को लाएं।''

श्री मोदी ने कहा, ''सरकार भ्रष्टाचार से प्रभावित है और समस्याओं का समाधान ढूंढने की बजाय उसने काम करना ही बंद कर दिया है। सरकार को लकवा मार गया है। संप्रग सरकार गांधी भक्ति में डूबी है। यह गांधी भक्ति अलग

तरह की है और यह गांधी का चित्र छपे नोटों की है और वे टनों के हिसाब से इसे जमा करने में लगे हैं।''

विदेश नीति के विषय पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को आशंका है कि आज जब वह न्यूयार्क में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे तब क्या वह भारत की चिंताओं को व्यक्त कर पायेंगे। क्या

वह सीमापार आतंकवाद और भारत के हितों के विषय को मजबूती से उठा पायेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समक्ष देश की गरीबी का रोना रोया और ऐसा ही काम किया जैसे कुछ फिल्मकार देश की गरीबी दिखाकर अवार्ड जीत लेते हैं। ''प्रधानमंत्री को देश की युवाशक्ति की मार्केटिंग करनी चाहिए थी।''

श्री मोदी ने कहा, ''अमरीकी राष्ट्रपति के समक्ष इस तरह से प्रधानमंत्री को गिड़गिड़ाते देख मेरा सिर शर्म से झुक गया।'' उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री ने गरीबी पर शहजादे के विचार को अपना लिया है कि गरीबी एक मन:स्थिति है।

उन्होंने आरोप लगाया कि शरीफ ने पत्रकारों के साथ चर्चा के दौरान सिंह को ''देहाती महिला'' के रूप में संबोधित किया जहां भारतीय पत्रकार भी मौजूद थे। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा, ''नवाज शरीफ की क्या औकात कि वह हमारे प्रधानमंत्री को देहाती महिला कहे?''

करीब एक घंटे के संबोधन में श्री मोदी ने कहा, ''भारत के प्रधानमंत्री का इससे अधिक अपमान और नहीं हो सकता। हम राजनीति के विषय पर उनसे लड़ सकते हैं लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवा सौ करोड़ लोगों का यह देश अपने प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।' जब देश में ही पीएम का अपमान होगा तो बाहर भी उनका हर कोई अपमान ही करेगा।

संप्रग के सहयोगी दलों से उन्होंने उम्मीद की कि वे इस गठबंधन में बने रहने के बारे में विचार करेंगे। उन्होंने कहा, ''मैं संप्रग के दिग्गज सहयोगियों से पूछना चाहता हूं कि जी-20 की बैठक से लौटते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि वह किसके तहत काम करने को तैयार हैं, कौन उनका बॉस होगा। मैं उनसे (संप्रग के सहयोगियों से) पूछता हूं कि क्या वे शहजादे की इच्छा पर चलेंगे।''

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा, ''सरकार अंकगणित के आधार पर बनती है लेकिन यह कैमिस्ट्री के आधार पर चलती है परंतु यहां गठबंधन के सहयोगियों में समन्वय नहीं है जिसके कारण देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है।''

उन्होंने कहा कि अटल-आडवाणी की सरकार के छह साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में विकास पर ध्यान दिया गया और सुशासन को प्राथमिकता दी गई लेकिन संप्रग सरकार में कुशासन फैला हुआ है।

श्री मोदी ने कहा, ''भ्रष्टाचार के कारण देश संकट से घिर गया है। इससे न केवल तिजोरी प्रभावित हुई है बल्कि देश के भविष्य के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। पिछले करीब साठ वर्षों में छोटे-छोटे देश तेजी से आगे बढ़े हैं और हम उतनी ही तेजी से पीछे की ओर बढ़े हैं। देश का युवा रोजगार चाहता है लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। राजग ने छह वर्ष के कार्यकाल में छह करोड़ लोगों को रोजगार दिया लेकिन 2004 से 2009 तक संप्रग ने केवल 27 लाख लोगों को रोजगार दिया।''

केंद्र सरकार पर राज्यों के योगदान का श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए श्री मोदी ने कहा, ''जो विभाग राज्यों से जुड़े हैं, वही अच्छा काम कर रहे हैं और केंद्र की सरकार उनका श्रेय भी ले लेती है जबकि स्वतंत्र रूप से काम करने वाले केंद्रीय विभागों का प्रदर्शन काफी खराब है।''

श्री मोदी ने कहा कि सरकार में दृष्टि का अभाव है, बजट, योजनाओं आदि पर नजर डालें तो कुछ भी नया नहीं है, केवल तारीख बदली हुई है। उन्होंने युवाओं से पूछा कि क्या उनका भविष्य कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है?

उन्होंने युवाओं से संप्रग और दिल्ली की सरकार को उखाड़ फैंकने का आह्वान किया? उच्चतम न्यायालय की ओर से सरकार के खिलाफ कहे गए तल्ख शब्दों का जिक्र करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने इनकी तुलना एक शराबी से की जिसे शराब के दुष्प्रभावों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

पिछले नौ वर्षों में देश में विकास के अभाव का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने संप्रग और राजग के शासनकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल नेटवर्क के विस्तार की तुलना की। उन्होंने विमानन क्षेत्र के घाटे का उल्लेख करते हुए इस क्षेत्र को दिये गए 30 हजार करोड़ रुपये के पैकेज के लिए संप्रग सरकार की आलोचना की। अपना जिक्र करते हुए श्री मोदी ने एक गरीब परिवार के बेटे को जिम्मेदारी दिये जाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया और कहा, ''मैं न कभी शासक था, न हूं। मैं आपका सेवक हूं। पहले भी सेवक रहा हूं और आगे भी सेवक रहूंगा।''

उन्होंने कहा, ''मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि न तो नरेन्द्र मोदी और न ही भाजपा आपका विश्वास तोड़ेगी। आपके सपनों को खत्म नहीं होंने दूंगा।'' भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा, ''मेरे लिए मेरा धर्म 'नेशन फर्स्ट-इंडिया फर्स्ट' है। किसी भी सरकार के लिए संविधान पवित्र पुस्तक होती है और वह 'सबको साथ और सबका विकास' के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे।''

श्री मोदी ने कहा कि देश की राजधानी समेत अनेक राज्यों में बिजली का अभाव है जबकि 20 हजार मेगावाट शक्ति के बिजली कारखाने तैयार हैं लेकिन कोयले के अभाव में चल नहीं रहे हैं। क्या बिजली के कारखाने चालू करने के लिए किसी अभूतपूर्व .ष्टि की जरूरत है। इन विकास के कार्यों के लिए संकल्प या इच्छाशक्ति चाहिए।

इस रैली को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विजय गोयल, प्रदेश भाजपा सह प्रभारी श्री नवजोत सिंह सि), दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन एवं श्री विजेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री वाणी त्रिपाठी, श्री जगदीश मुखी आदि वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। इस रैली में लाखों की संख्या में दिल्लीवासियों उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ■

भाजपा एनजी.ओ. प्रकोष्ठ

'बढ़ती आर्थिक विषमताएं : अन्त्योदय की भूमिका' पर संगोष्ठी आयोजित

वर्तमान आर्थिक संकट का हल है एकात्ममानववाद। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए अधिकतम उत्पाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों का योगदान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने यू.पी.ए. के आर्थिक नीतियों की कमियां गिनवाई। श्री गडकरी ने कहा कि कांग्रेस का समाजवादी मॉडल पूरी तरह से विफल हो चुका है, हमें भारतीय युवाओं के अन्दर उद्यमशीलता लानी चाहिये ना कि उनमें मुक्तखोरी की आदत विकसित हो। विदर्भ में किसानों और नानाजी देशमुख के चित्रकूट के विकास का उदहारण देते हुए युवाओं को जड़ों की ओर लौटने का संदेश दिया।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय विचार सम्मेलन के कार्यक्रम में 'बढ़ती आर्थिक विषमताएं: अन्त्योदय की भूमिका' पर कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में बोलते हुए श्री गडकरी ने गुजरात और मध्य प्रदेश के विकास दर को कांग्रेस के यू.पी.ए. से तीन गुना ज्यादा बताया तथा भ्रष्टाचार और गिरती साख को आर्थिक समस्या का मूल कारण बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री उमा भारती जी ने कहा कि एकात्ममानववाद 2020 में वैश्विक रूप से सबसे प्रासंगिक विचारधारा होगी, साथ ही उमा जी ने दलितों के यहाँ जाकर भोजन करने को फैशन बताया। उन्होंने कहा कि सभी को आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हो हमें ऐसा विकास करना चाहिये।

इस अवसर पर भाजपा प्रकोष्ठों के प्रमुख श्री महेन्द्र पाण्डेय ने भी विचार प्रकट किए। भाजपा एनजी.ओ. प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्री संजय चतुर्वेदी ने विषय प्रस्तावना रखी।

कार्यक्रम के अन्त में भाजपा एन.जी.ओ. प्रकोष्ठ के संयोजक श्री बसंत कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर भाजपा के सचिव डॉ0 अनिल जैन, भाजपा प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री, जितेन्द्र महाजन, मेधा सोमैय्या, डॉ0 संतोष सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

भाजपा ने सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन

इस अध्यादेश को वापस कीजिए : भाजपा

दोषी जनप्रतिनिधियों को तत्काल अयोग्य घोषित करने से बचाने वाले अध्यादेश के विरोध में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पार्टी संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली शामिल थे, ने 26 सितम्बर को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन सौंपकर इस अध्यादेश को सरकार को वापस कर देने का आग्रह किया। हम यहां उक्त ज्ञापन का हिंदी भावानुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं:-

माननीय राष्ट्रपति जी,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली

हम आपके व्यस्त कार्यक्रम में एक ऐसे सार्वजनिक हित के मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने का साहस कर रहे हैं जिसका सम्बन्ध सार्वजनिक जीवन में शुचिता तथा भारत में राजनीति की गुणवत्ता सुधारने से जुड़ा है।

भारतीय लोकतंत्र के लिए राजनीति का अपराधीकरण तथा अपराधियों की राजनीतिकरण एक गम्भीर चिंता का विषय रहा है। भारत आज भी ऐसे राजनीतिज्ञों की समस्याओं से जूझ रहा है जिन पर नैतिक अध:पतन के गम्भीर आरोप लगे होते हैं और जिन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी जाती है और वे इन विधान मण्डलों में चुनकर आ जाते हैं। इससे राजनीति, सार्वजनिक जीवन और गवर्नेंस की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। 10 जुलाई 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (4) को शक्ति-बाह्य घोषित किए जाने का राजनीतिक पार्टियों के लिए एक ऐसा अवसर था, जिसे कम से कम एक कदम आगे बढ़ने वाला कहा जा सकता है।

यूपीए सरकार ने जन प्रतिननिधित्व अधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा संशोधित करने का सुझाव दिया है और एक नए निरूपित सिद्धांत के साथ मूल शक्ति-वाह्य धारा 8 (4) के स्थान पर प्रतिस्थापन कर दिया गया है। इस नए सिद्धांत में कहा गया है कि किसी विधान मण्डल के सजायाफ्ता व्यक्ति की निर-अर्हता स्थगित रहेगी और इस सदस्य को इस प्रतिबंध के साथ कानून-निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपना वेतन प्राप्त करने या वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किसी एक सजायाफ्ता व्यक्ति को कानून-निर्माण का अधिकार क्यों हो?

नैतिक धर्म संकट

लोगों को किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति के जेल जाने की उम्मीद होती है। किन्तु मूल धारा 8(4) की आवश्यकता यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधानमण्डल का सदस्य है तो उसकी सजा तीन महीने की अवधि तक प्रभावित नहीं

होगी और यदि वह व्यक्ति इस अवधि में अपील या रिवीजन फाइल कर देता है तो उसकी वर्तमान सदस्यता तब तक जारी रहेगी जब तक यह अपील या रिवीजन का निपटारा न हो जाए। इसके विरूद्ध दृष्टिकोण का आधार शुचिता, नीति-शास्त्र और नैतिकता पर टिका है। यदि किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति क्यों कानून-निर्माता बना रहे? विगत में बहुत से लोगों ने इस सिद्धांत के पीछे युक्तियुक्तता पर सवाल उठाए हैं। जब किसी व्यक्ति की सजा सिद्ध हो जाती है तो उसके निर्दोष होने की पूर्व-कल्पना बची नहीं रहती है। इस प्रावधान को इस आधार पर न्यायोचित माना गया है कि निर्वाचित व्यक्ति एक अलग वर्ग का होता है जो किसी एक साधारण सजायाफ्ता व्यक्ति से भिन्न प्रकार का होता है। साधारण सजायाफ्ता व्यक्ति के अधिकार अपील से अभिशासित होते हैं और अन्तरिम या अन्तिम आदेश पारित किए जाते हैं। किन्तु, निर्वाचित व्यक्ति को कानूनी संरक्षण मिला है ताकि अपील पैंडिंग रहने पर कोई उप-चुनाव न हो, जो आवश्यक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 को शक्ति-वाह्य करार देते हुए 10.7.2013 को अपने निर्णय में खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फाइनल होता है। निर्णय के खिलाफ रिव्यू पेटीशन को खारिज कर दिया गया। जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी भावी तारीख में विपरीत दृष्टिकोण न अपनाए तब तक यह निर्णय पूरे देश पर लागू होता है। एक नैतिक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी एक प्रावधान को एक बार असंवैधानिक ठहरा देती हैं तो क्या भारतीय संसद को अपना विधायी क्षेत्राधिकार अपनाना चाहिए जिससे किसी सजायाफ्ता व्यक्ति को कानून-निर्माता का काम जारी रखने का अधिकार मिल जाए। हालांकि उसे वोट का अधिकार नहीं होगा, फिर भी बहस के दौरान उसके भाग लेने से कानून-बनाने का मार्ग प्रशस्त करने पर प्रभाव पड़ेगा ही। क्या भारतीय संसद को इस अवसर का इस्तेमाल इस प्रकार के प्रावधान को कानून की किताबों से निकाल दिया जाता?

विधेयक को संसद के सामने पेश किया गया। राज्यसभा में यह पैण्डिंग है। राज्यसभा ने इस विषय को विचारार्थ समझना उपयुक्त नहीं समझा। राज्यसभा के सभापति ने विधेयक को स्थायी समिति के पास भेज दिया। स्थायी समिति को भेज देने के बाद सभी स्टेक होल्डर और ऐसे लोग जो विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं, उन सभी को स्थायी समिति की सम्मति को प्रभावित करने का अवसर मिलेगा। ऐसे में, ऐसी क्या तात्कालिता रही है कि सरकार को अध्यादेश के मार्ग से यह विधान बनाने की आवश्यकता आ पड़ी? केवल एक ही बाध्यकारी कारण रहा है जिसने संसद को दरकिनार करते हुए और अध्यादेश का रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया और वह है कि कुछ ऐसे दागी राजनीतिज्ञों का वर्ग है जो पहले ही सजायाफ्ता हो चुके हैं या ऐसे लोग हैं जो निकट भविष्य में कोर्ट के निर्णयों के प्रति आशंकित हैं। लगता है कि यह सरकार दागियों के तर्कों से प्रभावित हो गई है जिससे इस सरकार की ईमानदारी की कमी का पता चलता है। प्रक्रियात्मक रूप में भी एक ऐसे विषय पर अध्यादेश लाना अनुचित है जिस पर पहले से ही स्थायी समिति विचार कर रही है।

अध्यादेश की गैर-संवैधानिकता

अनुच्छेद 102 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति पर जिसे संसद के सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और चुने होने के लिए उस व्यक्ति पर निर-अर्हिता लागू होती है। अनुच्छेद 191 में इसी प्रकार का प्रावधान राज्य विधान मण्डलों के लिए है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 अधिनियम की धारा 8 (1), (2) और (3) में उल्लिखित किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति के वर्ग को निर-अर्हता योग्य मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ के अपने 10.7.2013 के निर्णय में स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है जो इस प्रकार है:

दूसूरी तरफ, संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) और 191 (1) (ङ) में संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित के अलावा संसद के दोनों सदनों या राज्य के विधान मण्डल या विधान परिषद की सदस्यता के लिए निर-अर्हताओं के लिए कानून बनाने के वास्ते संसद को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि किसी भी विधान मण्डल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है जिससे वह राज्य की विधान सभा या विधान परिषद की सदस्यता को निर-अर्हता करने के लिए कानून बना सके और यही शक्ति संसद के पास ही है कि वह राज्य की विधान सभा या विधान परिषद की सदस्यता के बारे में बना सके। इन्हीं कारणों से यह हमारा सुविचारित मत है कि संसद के दोनों सदनों या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद की सदस्यता सम्बन्धित निर-अर्हता केवल संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) और 191 (1) (ङ) में स्थित है और यह संविधान के अनुच्छेद 248 और सातवीं अनुसूची के सूची 1 की प्रविष्टि 97 के साथ पठित अनुच्छेद 246 (1) में नहीं है। अतः,

हम श्री लूथरा के इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं कि यदि संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) 191 (1) (ङ) में नहीं है तो यह शक्तियां अनुच्छेद 246 (1) के अन्तर्गत संसद को इस अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) में प्राप्त है, जिसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97 और अनुच्छेद 248 के साथ पढ़ा जा सकता है।

अलग ढंग से प्रस्तुत करें तो देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति निर-अर्हता के कारण संसद या विधान मण्डल उसी निर-अर्हता की वजह से चुना नहीं जा सकता है तो वह संसद या विधान मण्डल के सदस्य के रूप में भी जारी नहीं रह सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ङ) और 191 (1) (ङ) की भाषा ऐसी है जिससे संसद या विधान मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित व्यक्ति के लिए निर-अर्हता या किसी व्यक्ति के संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में जारी रहने की स्थिति में दोनों की निर-अर्हता की भाषा एक ही प्रकार की है।

उपर्युक्त चर्चा का परिणाम यह है कि अनुच्छेद 102 (1) (ङ) और 191 (1) (ङ) में प्रयुक्त सकारात्मक शब्द संसद को एक ही प्रकार का कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं जिससे उस व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार की निर-अर्हताओं का प्रावधान रखा गया है, जिसे संसद के दोनों सदनों या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है और ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन या राज्य विधान मण्डल के सदन का वर्तमान सदस्य होता है और संविधान के अनुच्छेद 101 (3) (क) तथा 190 (3) (क) में जो शब्द है, वे संसद की इन शक्तियों पर स्पष्ट रूप से सीमित करते हैं जिससे उस तारीख को स्थगित न किया जा सके जिस दिन से निर-अर्हता प्रभावी होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) जो अधिनिमय की धारा 8 की उप-धारा (1), (2) और (3) के अन्तर्गत संसद या विधान मण्डलों के वर्तमान सदस्यों के बचाव के लिए जिन निर-अर्हताओं को तैयार किया गया है या वह निर-अर्हताएं जिस तारीख से संसद या विधान मण्डल के वर्तमान सदस्यों पर प्रभावी होंगी, उसे संविधान द्वारा संसद को प्रदत्त शक्तियों के बाहर रखा गया है।

अत: सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून स्पष्ट है कि संसद की शक्तियों पर स्पष्ट सीमा रखी गई है जिससे सजायाफ्ता विधायक को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से उस विधायक को किसी भी प्रकार से जारी रहने का अधिकार प्राप्त नहीं रह जाता है। उपस्थिति का अधिकार और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, जोकि सजायाफ्ता विधायक को प्रस्तावित अध्यादेश में दिया गया है, ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। अत: संसद अनुच्छेद 102 और 191 में दी गई स्पष्ट भाषा को देखते हुए किसी भी निर-अर्हता प्राप्त विधायक को ऐसी सुविधा प्रदान नहीं कर सकती है। प्रस्तावित अध्यादेश का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की संशोधित धारा 8 (4) उतनी ही गैर-संवैधानिक है, जितनी कि मूल धारा 8 (4)।

अत:, हमारा महामहिम से अनुरोध है कि वे सरकार को परामर्श दें कि उसे ऐसा गैर-संवैधानिक कानून नहीं बनाना चाहिए। इसलिए, आप महामहिम को इस अध्यादेश को सरकार को वापस कर देना चाहिए। ■

पांच राज्यों में चुनावी तिथि की घोषणा

पहली बार ईवीएम में होगा मत नहीं देने का विकल्प

चुनाव आयोग ने गत 4 अक्टूबर को दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की घोषणा की जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 11 और 19 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश में 25 नवंबर, राजस्थान में 1 दिसंबर और दिल्ली तथा मिजोरम में 4 दिसंबर को मतदान होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री वी एस संपत ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। सभी राज्यों के लिए मतगणना 8 दिसंबर को कराई जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही इन पांचों राज्यों में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी चार राज्यों में एक चरण में ही मतदान होगा जबकि छत्तीसगढ में दो चरणों में वोट डाले जायेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर इन चुनावों में पहली बार मतदाताओं के लिए 'इनमें से कोई नहीं' (एनओटीए) का विकल्प होगा। ■

भाजपा तेलंगाना निर्माण तथा अन्तर्क्षेत्रीय समानता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध

2 अक्तूबर को भाजपा की ओर से जारी प्रेस वक्तव्य

भाजपा सीमान्ध्र के एक पार्टी प्रतिनिधिमण्डल ने श्री लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर केन्द्रीय पार्टी नेतृत्व के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, पूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू, राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, संयुक्त महासचिव (संगठन) श्री वी. सतीश उपस्थित थे।

प्रतिनिधिमण्डल ने आंध्र प्रदेश में, विशेष रूप से सीमांध्र में चल रही वर्तमान स्थिति से केन्द्रीय नेतृत्व को अवगत कराया। इस प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य के विभाजन के पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति वचनबद्धता प्रगट की। उन्होंने पार्टी से आग्रह किया कि वे केन्द्रीय सरकार पर राज्य के विभाजन पर विधेयक तैयार करते हुए सीमांध्र के लोगों में छाई वास्तविक चिंताओं, भय तथा आशंकाओं का समाधान करने के लिए केन्द्रीय पर दबाव डालने की पहल करे।

प्रतिनिधि मण्डल ने जिन मुद्दों को उठाया, उनमें पानी बंटवारा, राजस्व बंटवारा, सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं, शिक्षा तथा हैदराबाद में बसने वालों के लिए रोजगार के अवसर तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण सम्बन्धी समस्याएं शामिल रहीं। प्रतिनिधिमण्डल ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

केन्द्रीय पार्टी इन सभी चिंताओं के समाधान के लिए भारत सरकार से अनुरोध करेगी तथा केन्द्र से इनके बारे में ध्यान रखते हुए राज्य के विभाजन के लिए विधेयक तैयार करते हुए समुचित तंत्र बनाने का आग्रह करेगी।

भाजपा राज्य के विभाजन के लिए प्रतिबद्ध है तथा सीमांध्र के लोगों सहित सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहती है कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा और किसी भी क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

भाजपा आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती है तथा विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों द्वारा अभिव्यक्ति सभी चिंताओं के सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढने में सहयोग देने की मांग करती है और चाहती है कि भाईचारा बनाए रखा जाए तथा कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा भड़काए जाने वाले बयानों का लोग शिकार न बनें।

केन्द्र सरकार आरम्भ से ही तेलंगाना मुद्दे को गलत ढंग से लेकर चली है। अब भी कांग्रेसजन विभिन्न क्षेत्रों में दोगली भाषा बोल रहे हैं। ऐसी कांग्रेसी तेलंगाना क्षेत्र में तेलंगाना बनाने के निर्णय का श्रेय लेना चाहते हैं और भाजपा पर सीमांध्र क्षेत्र में निर्णय पर उसे आरोपित करना चाहते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी से, विशेष रूप से सत्ताधारी पार्टी से इस प्रकार की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कांग्रेस इस सारे मुद्दे को सभी स्टेकहोल्डरों को विश्वास में लिए बिना अपना आन्तरिक पार्टी का मामला समझती है।

तेलंगाना निर्माण के प्रति अपनी वचनबद्धता पर कायम रहते हुए भाजपा पूरी दृढ़ता से अन्तर्क्षेत्रीय समानता कायम रखने के लिए कार्य करती रहेगी। ■

केन्द्र सरकार आरम्भ से ही तेलंगाना मुद्दे को गलत ढंग से लेकर चली है। अब भी कांग्रेसजन विभिन्न क्षेत्रों में दोगली भाषा बोल रहे हैं। ऐसी कांग्रेसी तेलंगाना क्षेत्र में तेलंगाना बनाने के निर्णय का श्रेय लेना चाहते हैं और भाजपा पर सीमांध्र क्षेत्र में निर्णय पर उसे आरोपित करना चाहते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी से, विशेष रूप से सत्ताधारी पार्टी से इस प्रकार की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कांग्रेस इस सारे मुद्दे को सभी स्टेकहोल्डरों को विश्वास में लिए बिना अपना आन्तरिक पार्टी का मामला समझती है।

राहुल नहीं, प्रणव दा ने बचाई इज्जत

– लालकृष्ण आडवाणी

गत् बुधवार (2 अक्टूबर) को मंत्रिमंडल द्वारा दागी सांसदों एवं विधायकों से सम्बन्धित अध्यादेश तथा साथ ही इस संदर्भ में संसद में लम्बित विधेयक वापस लेने से यूपीए सरकार के भौण्डे इतिहास का एक और भद्दा अध्याय समाप्त हो गया है।

इस घटनाक्रम पर अधिकार मीडिया रिपोर्टों द्वारा इसे राहुल गांधी की विजय बताया जाना-इन दिनों मीडिया द्वारा सामान्य तौर पर की जा रही सतही रिपोर्टिंग पर एक टिप्पणी है।

वास्तव में, अमेरिका में राष्ट्रपति ओबामा तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के बाद रवाना होते समय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि वह वापस लौटने के बाद अध्यादेश के बारे में पार्टी के उपाध्यक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से बात करेंगे, इस पर मैंने अपने एक मित्र से कहा कि साढ़े तीन मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वह कुल मिलाकर यह है कि विधेयक 'एकदम बकवास' है और यह फाड़कर फेंकने लायक है।'

इस क्रुद्ध टिप्पणी में ऐसा क्या था जिसे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से सलाह-मश्विरा करते?

आखिरकार राहुल गांधी ने एक भी तर्क नहीं दिया कि वह क्यों मानते हैं कि अध्यादेश गलत है। इसकी तुलना में, जब 26 सितम्बर की शाम को दोनों सदनों में हमारे नेताओं श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली और मैं जब राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति को चार पृष्ठों का ज्ञापन सौंपा तब हमारे ज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि क्यों हम इस अध्यादेश को न केवल असंवैधानिक और गैर-कानूनी मानते हैं अपितु अनैतिक भी, साथ ही प्रक्रियागत रुप से भी गलत क्योंकि यह अध्यादेश जिस विधेयक का स्थान लेने वाला था उसे पहले ही राज्यसभा की स्थायी समिति को भेजा जा चुका था।

आखिरकार राहुल गांधी ने एक भी तर्क नहीं दिया कि वह क्यों मानते हैं कि अध्यादेश गलत है। इसकी तुलना में, जब 26 सितम्बर की शाम को दोनों सदनों में हमारे नेताओं श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली और मैं जब राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति को चार पृष्ठों का ज्ञापन सौंपा तब हमारे ज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि क्यों हम इस अध्यादेश को न केवल असंवैधानिक और गैर-कानूनी मानते हैं अपितु अनैतिक भी, साथ ही प्रक्रियागत रुप से भी गलत क्योंकि यह अध्यादेश जिस विधेयक का स्थान लेने वाला था उसे पहले ही राज्यसभा की स्थायी समिति को भेजा जा चुका था।

मुझे स्मरण आता है कि 24 सितम्बर मंगलवार को मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को स्वीकृति दी जिसमें दागी सांसदों और विधायकों सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी बनाना था। विपक्ष की ओर से पहली प्रतिक्रिया सुषमाजी का ट्वीट था कि भाजपा इस अध्यादेश का विरोध करेगी। उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने मुझसे परामर्श किया

और हमने राष्ट्रपति से मिलकर यह अनुरोध करने का निर्णय लिया कि वे इस पर हस्ताक्षर न करें। जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन से समय लेने हेतु सम्पर्क किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राष्ट्रपति पुदुच्चेरी गए हुए हैं और 26 सितम्बर को शाम 4 बजे ही लौटेंगे।

उसी दिन हम उनसे शाम 5.30 बजे मिले और उनके साथ लगभग 45 मिनट रहे। हमारी मुलाकात की समाप्ति पर हमें यह साफ लगा कि वह इससे सहमत थे कि इस स्थिति में उनका हस्तक्षेप जरुरी है।

स्वदेश वापसी में प्रधानमंत्री के विशेष विमान में डा. मनमोहन सिंह ने बरखा दत्त (एनडीटीवी) से बात करते हुए जोर दिया कि अध्यादेश को हरी झण्डी 21 सितम्बर को हुई बैठक में दी गई जिसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। अतः इस गैर कानूनी और अनैतिक अध्यादेश की वापसी से जो देश को विजय मिली है उसके लिए सिर्फ राष्ट्रपतिजी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि यूपीए यह समझता है कि राष्ट्रपति के उच्च पद पर बैठने वाले अधिकांश अन्य कांग्रेसजनों की भांति वह भी एक 'रबड़ स्टैम्प राष्ट्रपति' सिद्ध होंगे, तो यह अत्यंत गंभीर भूल होगी!

उसके थोड़ी देर बाद जब टी.वी. चौनलों ने दिखाना शुरु किया कि उन्होंने शिंदे और सिब्बल तथा बाद में कमलनाथ को बुलाया है, तो यह और साफ हो गया कि घटनाक्रम इस दिशा में बढ़ना शुरु हो गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन मंत्रियों को बता दिया गया है कि राष्ट्रपति को इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने पर ऐतराज है। इससे अवश्य ही मंत्रियों के कान खड़े हुए होंगे। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को बगैर हस्ताक्षर के वापस लौटाना सरकार के लिए बड़ा धक्का होता।

तब शायद सोनियाजी ने सोचा होगा कि इस उद्देश्य से राहुल का उपयोग कर नुक्सान की कुछ भरपाई की जाए। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि किसी ने भी उन्हें परामर्श नहीं दिया कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। यदि राहुल ने साधारणतया यह कहा होता कि सरकार द्वारा लिये गए निर्णय पर पुनर्विचार की जरुरत है, तो उनका उद्देश्य पूरी तरह से हासिल हो गया होता। इसके बजाय जो उन्होंने कहा, उसके चलते दि इण्डियन एक्सप्रेस (3 अक्टूबर, 2013) ने 'लूजिंग फेस' शीर्षक से एक व्यंगात्मक सम्पादकीय प्रकाशित किया। इसका उप शीर्षक है: "वह भले ही विजयी हुए होंगे लेकिन राहुल गांधी ने यू.पी.. की शक्ति को और मिटा दिया है।''

राहुल की जीत वास्तव में न केवल प्रधानमंत्री की अपितु यू.पी.ए. के अधिकारों को मिटाने की है। पहले दिन से ही यूपीए का अर्थ सदैव डा. मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी हैं।

अतः मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अध्यादेश को 'बकवास' कहना न केवल प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों पर लागू होता है। सोनियाजी को भी इसमें भागीदारी लेनी होगी।

स्वदेश वापसी में प्रधानमंत्री के विशेष विमान में डा. मनमोहन सिंह ने बरखा दत्त (एनडीटीवी) से बात करते हुए जोर दिया कि अध्यादेश को हरी झण्डी 21 सितम्बर को हुई बैठक में दी गई जिसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। अतः इस गैर कानूनी और अनैतिक अध्यादेश की वापसी से जो देश को विजय मिली है उसके लिए सिर्फ राष्ट्रपतिजी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि यूपीए यह समझता है कि राष्ट्रपति के उच्च पद पर बैठने वाले अधिकांश अन्य कांग्रेसजनों की भांति वह भी एक 'रबड़ स्टैम्प राष्ट्रपति' सिद्ध होंगे, तो यह अत्यंत गंभीर भूल होगी!

टेलपीस (पश्च्यलेख)

ब्लॉग में उपरोक्त वर्णित 'दि इण्डियन एक्सप्रेस' के सम्पादकीय का अंतिम पैरा निम्न है:

मनमोहन सिंह ने पद छोड़ने की संभावनाओं से इंकार किया है परन्तु उनके शेष बचे कार्यकाल में इस्तीफे का ज्यादा तुक नहीं है। राहुल गांधी ने इन विधेयकों पर अपनी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं की है। शासन सम्बन्धी मामलों पर उनके विचार ज्ञात नहीं हैं परन्तु सरकारी फैसलों में बाधा डालने की उनकी शक्ति साबित हुई है। अब उनकी चुप्पी और मुखर तथा ज्यादा दुविधापूर्ण प्रतीत होगी। आने वाले चुनावों में यह दांव कांग्रेस की राजनीतिक तौर पर फायदा पहुंचाएगा या नहीं परन्तु शेष बची अवधि में सरकार का चेहरा बदरंग हो गया है। ■

राइट टू रिजेक्ट : हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

✍ नरेन्द्र मोदी

चुनाव में मतदाता सभी उम्मीदवारों को ठुकरा सके इसके लिए निगेटिव वोटिंग के विकल्प का समावेश करने का निर्देश आज सुबह माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को दिया है।

मैं इस फैसले का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे इस बात का यकीन है कि इसका हमारी राज्य व्यवस्था तंत्र पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा साथ ही लोकतंत्र को और भी ज्यादा वाइब्रेंट बनाने के लिए चुनाव सुधार की दिशा में यह एक मजबूत कदम साबित होगा।

मित्रों, लम्बे वक्त से मैं चुनावों में राइट टू रिजेक्ट का प्रावधान लागू करने को लेकर आवाज उठा रहा था। इसके बिना हमारे व्यवस्था तंत्र में कुछ कमी-सी खल रही थी। वर्तमान में किसी एक बैठक पर यदि दस उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होते हैं तो हम मतदाता को उन दस में से किसी एक का चुनाव करने पर मजबूर करते हैं। न्यायालय के इस फैसले से मतदाता को अपना रोष व्यक्त करने और सभी उम्मीदवारों को ठुकराने का एक विकल्प मिला है। अब मतदाता यह संदेश दे सकता है कि, हमें उम्मीदवार या उम्मीदवारों की पार्टी या पार्टी की नीतियां नापसन्द है। इसके चलते राजनैतिक दलों को एक मजबूत संदेश मिलेगा कि क्या वजह है कि लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इस मामले पर विचार करने के लिए पार्टियां मजबूर होंगी। लिहाजा इससे सभी पार्टियां ज्यादा जवाबदार बनेंगी।

आने वाले चुनावों में राइट टू रिजेक्ट आने वाला है, इसके लागू होने को लेकर कुछ राजनीतिक दलों के मेरे मित्र संशय व्यक्त कर रहे हैं, हालांकि मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं। हमने अनिवार्य मतदान को लेकर एक विधेयक भी पेश किया था, और राइट टू रिजेक्ट का भी उसमें समावेश किया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरजोर विरोध किया था। यह विधेयक वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में यानी दो बार मंजूर किया गया था, परन्तु बाद में माननीय राज्यपाल द्वारा उसे रोक कर रखा गया था।

अनिवार्य मतदान के भी कई लाभ हैं जिससे हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत हो सकता है। इसके चलते लोगों का यह भय भी कम होगा कि चुनाव महज धनशक्ति का प्रदर्शन बनकर रह गए हैं। कई नागरिक चुनावों के दौरान किए जाने वाले मनमाने खर्च को लेकर परेशानी का अनुभव करते हैं। हालांकि अनिवार्य मतदान की वजह से चुनावों के पीछे जो बेहिसाब और बेतुका खर्च होता है, उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि मतदाता तो अब वैसे भी वोट डालने के लिए पोलिंग बुथ तक आने ही वाला है। हममें से कई लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि राइट टू रिजेक्ट और अनिवार्य मतदान जैसे कदम अभिव्यक्ति की आजादी के हमारे अधिकार का भंग है। नहीं, इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि यह आपकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की दिशा में एक मजबूत अवसर है। फिलहाल आप अपनी पसन्द के व्यक्ति या पार्टी का चुनाव कर अभिव्यक्ति के आपके अधिकार का आधा ही उपयोग कर रहे हैं। भविष्य में आप उम्मीदवारों को ठुकराकर भी अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकेंगे।

वर्तमान में किसी एक बैठक पर यदि दस उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होते हैं तो हम मतदाता को उन दस में से किसी एक का चुनाव करने पर मजबूर करते हैं। न्यायालय के इस फैसले से मतदाता को अपना रोष व्यक्त करने और सभी उम्मीदवारों को ठुकराने का एक विकल्प मिला है। अब मतदाता यह संदेश दे सकता है कि, हमें उम्मीदवार या उम्मीदवारों की पार्टी या पार्टी की नीतियां नापसन्द है। इसके चलते राजनैतिक दलों को एक मजबूत संदेश मिलेगा कि क्या वजह है कि लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इस मामले पर विचार करने के लिए पार्टियां मजबूर होंगी। लिहाजा इससे सभी पार्टियां ज्यादा जवाबदार बनेंगी।

और ऐसा नहीं है कि इसमें मतदाताओं से कुछ छीन लिया जा रहा है। बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजने का जब हम समर्थन करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम उनके बचपन को छिन रहे हैं।

एक बार किसी ने महात्मा गांधी से पूछा कि लोगों के मूलभूत अधिकार क्या हैं? जवाब में गांधी जी ने कहा था कि लोगों के मूलभूत अधिकारों के साथ उनकी मूलभूत कर्तव्य की भी बात करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य अच्छी तरह निभाते हैं तब हमारे अधिकार भी अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। और जब हम अपने कर्तव्य सही ढंग से निभाते हैं तो हमारा लोकतंत्र भी सुरक्षित हो जाता है।

परन्तु मित्रों, राइट टू रिजेक्ट और अनिवार्य मतदान को लेकर चर्चा करना अच्छी बात है लेकिन अगर आपने बतौर मतदाता अपने नाम का पंजीयन नहीं कराया है तो यह सभी चर्चाएं अर्थहीन होंगी। मुझे यह बताया गया है कि 18 से 24 वर्ष वाले नौजवानों ने बड़ी तादाद में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात दूसरी नहीं हो सकती। चुनाव आयोग द्वारा देश के सभी राज्यों में मतदाता पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस अभियान में शामिल होकर बतौर मतदाता अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। यह बात भी उतनी ही सच है कि हमारे कई अनिवासी भारतीय (एनआरआई) मित्र जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, इस बात से अनजान हैं कि वे भी चुनावों में मतदान कर सकते हैं। लिहाजा, एनआरआई मित्रों से मेरा निवेदन है कि वे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं और मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराएं।

लोकतंत्र हम सभी के द्वारा ही ज्यादा मजबूत बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश एक अद्‌भुत कदम है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम साथ आएं और इस निर्देश को अमल में लाएं ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत बने तथा हमारा देश आने वाले वर्षों में बेहतर तरीके से उभरकर सामने आए। ■

(लेखक गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं)

जब तक माहौल हितकर नहीं है, पाक से न हो वार्ता : राजनाथ सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा 26 सितम्बर 2013 को भारत–पाकिस्तान वार्ता पर जारी वक्तव्य

भाजपा जम्मू क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों पर आज हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। भारत की जमीन पर इस तरह के आतंकवादी हमले पाकिस्तान में सक्रिय भारत विरोधी ताकतें कर रही हैं। वर्तमान यूपीए सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कमजोर नीतियों के कारण आतंकवादियों के हौंसले इतने बढ़ चुके हैं कि वे भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बना देते हैं।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के भरोसे के विपरीत पाकिस्तान में वास्तव में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान की सेना भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अस्थिर करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ के नेतृत्व में नवनिर्वाचित सरकार को पाकिस्तान में सक्रिय भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बाद बातचीत के लिए आधार तैयार करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। अत: प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच न्यूयॉर्क में इस सप्ताह के अंत में होने वाली बातचीत तत्काल रद्द कर दी जानी चाहिए। मीडिया की खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात रद्द करने का कोई संकेत नहीं दिया है। जब से यूपीए सरकार सत्ता में आई है उसने पाकिस्तान के साथ समझौता करने की नीति अपना रखी है। चाहे वह 'हवाना घोषणापत्र' हो या 'शर्म अल शेख' की असफलता, यूपीए सरकार ने भारत–पाक द्विपक्षीय संबंधों में भारत की स्थिति अत्यधिक कमजोर की है।

जब एनडीए की सरकार सत्ता में थी, हमने कड़ा रुख अपनाया था और 'इस्लामाबाद घोषणापत्र' प्राप्त किया था जिसमें पाकिस्तान ने हमसे वादा किया था कि पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां नहीं चलाई जाएंगी। यूपीए सरकार वह कूटनीतिक अस्त्र खो चुकी है। पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वह कोई भी सार्थक बातचीत शुरु करने से पहले 'इस्लामाबाद घोषणापत्र' लागू करे जिस पर 6 जनवरी 2004 में हस्ताक्षर किये गए थे।

इस समय बगैर रीढ़ की कूटनीति भारत को एक 'शांत देश' के रुप में पेश करेगी जिसे कोई भी बड़ा या छोटा देश परेशान कर सकता है। लगता है, प्रधानमंत्री और और यूपीए सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरु करने की जल्दी है। ऐसा आभास होता है जैसे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के बजाय वे कुछ रुढ़िवादी राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं। भाजपा का मानना है कि जब तक बातचीत के लिए माहौल हितकर नहीं बनता तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जानी चाहिए। ■

भाजपा ने सदैव सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों को बचाने वाले विधेयक का विरोध किया है

अरुण जेटली

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जल्द-जल्द दो निर्णय दिए हैं। पहले निर्णय का सम्बन्ध हिरासत में रहने वाले उम्मीदवारों को मताधिकार से वंचित करने के बारे है और इस प्रकार उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के बारे में है। भाजपा सहित सभी पार्टियों ने महसूस किया कि यदि इस निर्णय को लागू हो जाने दिया गया तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए विनाशकारी होगा। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और सभी राज्यकर्मियों को इतना करना होगा कि वे नामांकन पत्रों को फाइल करने की पूर्व-संध्या पर कुछेक उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लें और पूरी चुनावी प्रतिक्रिया को ध्वस्त कर दें। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की संशोधित धारा 62 (5) के कानून को पहले ही पारित कर दिया गया है।

दो निर्णयों में से दूसरे निर्णय का सम्बन्ध और भी गम्भीर मुद्दा है। यदि किसी आपराधिक दोष वाले सजायाफ्ता व्यक्ति को सजा मिल जाती है तो क्या ऐसे व्यक्ति को, जिससे विधान मण्डल की उसकी सदस्यता निर-अर्हता योग्य हो जाती है तो क्या उसे तब तक सदस्य रहने की अनुमति जारी रहनी चाहिए जब तक कि सजा के खिलाफ उसकी अपील का निपटान नहीं हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (4) को यह स्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 का उल्लंघन है।

इस विधेयक पर अनेक प्रकार की चर्चाएं हुईं। भाजपा ने निरन्तर इसका विरोध किया और सरकार को अपना विरोध जता भी दिया। उपर्युक्त में कुछेक बातचीत का विवरण दिया गया है।

13 अगस्त 2013 को सरकार ने संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। श्रीमती सुषमा स्वराज और मैंने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में हमें बताया गया कि सरकार अनेक मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है जिसमें आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मामला, धारा 8 (4) के अन्तर्गत सजायाफ्ता विधायक की सदस्यता की निर-अर्हता का मामला, न्यायिक नियुक्ति कमीशन कानून, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिसमें जेल भेजे गए व्यक्ति को वोटिंग और चुनाव लड़ने से वंचित करना और संसद के दोनों सदनों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के उपाए जैसे मुद्दे शामिल होंगे।

सजायाफ्ता विधायकों के बारे में उसकी वर्तमान सदस्यता जारी रखने सम्बन्धी अधिकार के मुद्दे पर विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चर्चा के अंत में हमें यह बताया गया कि सरकार प्रस्ताव को अन्तिम रूप देगी और इस विषय को सम्मति के लिए स्थायी समिति को भेजा जाएगा। सरकार ने यह जताने की कोशिश की जैसे कि भाजपा प्रस्तावित कानून का पूरा समर्थन करती है। वास्तव में, कई प्रकार की सम्मतियों पर चर्चा हुई। मुझे सरकार द्वारा फैलाई गई गलत सूचना को सही करने पर विवश होना पड़ रहा है। इस बैठक के बाद, 15 अगस्त 2013 को स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले में प्रधानमंत्री के भाषण की समाप्ति के बाद केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा मुझे बताया गया था कि सरकार संविधान में एक संशोधन लाने पर विचार कर रही है। यह बात उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री के सामने कही थी। मैंने इस प्रस्ताव पर अपनी आशंका जाहिर की थी। मेरी आशंका थी कि लोगों की राय यह मानने को तैयार नहीं होगी कि संसद सजायाफ्ता लोगों को कानून निर्माता बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन करे। जो भी हो, कुछ मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होंगे जो इस प्रकार की श्रेणी में आ पाएंगे। बेहतर होगा कि हम इस निर्णय को स्वीकार करें और यह आवश्यक नहीं है कि निर्णय का उल्लंघन कर संविधान में संशोधन करने की बात करें। विधि मंत्री ने मुझे बताया कि अब वे इस पर विचार करना शुरू करेंगे कि क्या संविधान संशोधन की बजाए कानून में संशोधन करना संभव है?

कुछ दिनों के बाद सरकार ने हमें बताया कि वह जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (4) में संशोधन करने पर विचार कर रही है। मैंने इस

विषय पर विचार किया और अनेक प्रज्ञावान लोगों तथा अनेक कानूनी विशषज्ञों से परामर्श किया। जिस धारा 8 (4) में संशोधन करने का प्रस्ताव था, उस मूल धारा 8 (4) को पढ़ने के बाद मेरी अपनी समझ यही थी कि मूल धारा 8(4) में इस प्रकार का प्रावधान करना गैर-संवैधानिकता के प्रभाव से ग्रसित होगा। मैंने इसे स्वयं विधि मंत्री को बता दिया था।

2 सितम्बर 2013 को जब भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक हुई तो मैंने अपने सहयोगियों को बताया कि यह संशोधन क्यों गैर-संवैधानिक होगा। मैंने यह भी बताया कि यह सार्वजनिक लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग नैतिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह विचार ही लोगों के गले नहीं उतरेगा कि सजायाफ्ता लोग कानून-निर्माता का काम करना जारी रखें- इस पर लोगों को आपत्ति होगी। मैंने इस संशोधन का विरोध किया था और यह भी कि राजनैतिक पार्टियों को आरटीआई को लागू न किए जाने के सम्बन्ध में संशोधन पर मीडिया में व्यापक चर्चा भी हुई थी। उसी दिन केन्द्रीय विधि मंत्री संसद में श्रीमती सुषमा स्वराज के कक्ष में आए थे। संदेश मिलने पर मैं भी वहां पहुंचा। हम तीनों में लगभग आधे घण्टे तक चर्चा/तर्क होते रहे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में इस संशोधन को क्यों स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए।

हमें लगा कि यह नैतिक रूप से आपत्तिजनक और संवैधानिक रूप से अवैध है। मूल रूप से संसद का सत्र 6.9.2013 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाना था। संसद की बैठक को एक दिन के लिए बढ़ाया गया ताकि इस संशोधन सहित कुछ बिलों को पारित कराया जा सके। श्रीमती सुषमा स्वराज और मैंने स्पष्ट रूप से सरकार को बता दिया था कि हम इस संशोधन के पारित कराने के खिलाफ हैं। विभाजित सम्मति के कारण सरकार ने हमें बताया कि इसे स्थायी समिति को भेजा जा रहा है।

हमें यह जानकर बेहद दु:ख हुआ कि जब अध्यादेश जारी किया गया, हालांकि यह विधेयक स्थायी समिति के सामने विचारार्थ पैण्डिंग था। हमने अनेक आधारों पर अध्यादेश जारी करने का विरोध किया।

इस विधेयक पर अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई। भाजपा ने निरन्तर इसका विरोध किया और सरकार को अपना विरोध जता भी दिया। उपर्युक्त में कुछेक बातचीत का विवरण दिया गया है।

मैं उपर्युक्त तथ्यों को सार्वजनिक कर रहा हूं क्योंकि हमारी इस परेशान सरकार ने गलत सूचनाएं फैलाने का काम शुरू कर रखा है। ■

दीनदयाल जयंती समारोह

'समसामयिक भारत के लिए एकात्म मानववाद के सिद्धांत अत्यंत महत्त्वपूर्ण'

प्रतिवर्ष दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली 25 सितम्बर को अपने स्थापना दिवस पर पं. दीनदयाल उपाध्याय का जयंती समारोह आयोजित करता है। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती मीनाक्षी लेखी मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने भारत में महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, मूल्यावनति जैसे समसामयिक मुद्दों पर बोलते हुए इस बात पर बल दिया कि हमें पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार अपनी मानसिकता बदलने की गहन आवश्यकता है।

भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम जाजू ने प्रमुख भाषण दिया। उन्होंने एकात्म मानववाद के सिद्धांतों एवं वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति के प्रयोग पर जोर दिया। महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश के कुलपति और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष डा. नंदकिशोर गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने भारत की समृद्ध परम्परा और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने की बात की तथा सभास्थल में उपस्थित जनसमूह को पं. उपाध्याय के जीवन से संबंधित संस्मरण प्रस्तुत किए। ■

अनादर का एक और अध्याय

✍ हृदय नारायण दीक्षित

सर्वोच्च शासक भयग्रस्त नहीं होते। प्रधानमंत्री सर्वोच्च संवैधानिक शासक हैं। वह भय, पक्षपात और रागद्वेष रहित काम करने की संवैधानिक शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भयमुक्त काम करना चाहिए, लेकिन दागी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा कवच दिलाने वाले अध्यादेश विवाद में प्रधानमंत्री डर गए। सरकार हार गई। राहुल जीत गए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने एक माह के भीतर ही अपना फैसला पलटा। जनभावना इस अध्यादेश के खिलाफ थी, लेकिन मंत्रिगण अड़े रहे। मुख्य विपक्षी दल भाजपा और वामदल भी विरोध में थे तब भी और राष्ट्रपति ने प्रश्न उठाए तब भी। प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। अजय माकन अध्यादेश के पक्ष में प्रेस वार्ता कर रहे थे कि राहुल गांधी वीररस लेकर प्रकट हो गए। बोले-बकवास है यह अध्यादेश। इसे फाड़ देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्राधिकार को चुनौती दी। बेशक राहुल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अध्यादेश और विधेयक का फैसला सोनिया गांधी की कांग्रेस ने ही लिया था। भयग्रस्त प्रधानमंत्री विकल्पहीन हो गए। मूलभूत प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति केंद्रीय सत्ता प्राधिकार से बड़ा कैसे हो गया? भारत में सरकार कौन चला रहा है? क्या राहुल परासंवैधानिक सत्ता हैं? वे यही काम शालीनता से भी करवा सकते थे। प्रधानमंत्री स्वयं संशोधन आदि के बहाने अध्यादेश वापस कर सकते थे। इससे प्रधानमंत्री की भद न पिटती, लेकिन राहुल को हीरो सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की पिटाई की गई।

अध्यादेश और विधेयक वापसी से राहुल का असली नायकत्व प्रकट हुआ है। सरकार दुबक गई है। राहुल सर्वोपरि सत्ता हैं, लेकिन राजनीति सिनेमा जैसा मनोरंजन व्यवसाय नहीं है। राजनीति में 'फटा पोस्टर निकला हीरो' नहीं चलता। राहुल गांधी अध्यादेश फाड़कर भी हीरो नहीं बन सके। बेशक अध्यादेश की पूरी पटकथा मनोरंजन से भरपूर है। संप्रग ने संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का एक और अध्याय जोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता सांसदों विधायकों की सदस्यता के खात्मे का निर्देश दिया था। प्रश्न है कि केंद्र ने दागी सजायाफ्ता लोगों को राहत देने वाला विधेयक ही क्यों बनाया? लोकसभा में सांसद राहुल की पार्टी ने भी वोट क्यों दिया। राज्यसभा ने इसे विचारार्थ स्थायी समिति को सौंप दिया। कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच दागी जनप्रतिनिधियों को बचाने पर आम सहमति थी, लेकिन विधेयक संसद में अटक गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बैठकें कीं। आखिरकार व्यापक विरोध के बावजूद अध्यादेश क्यों बना? राहुल ने अपनी ताकत बाद में क्यों दिखाई? प्रधानमंत्री का अपमान क्यों हुआ? संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा से खिलवाड़ सोनिया कांग्रेस की परंपरा है, लेकिन इस प्रहसन में संविधान और संसद की भावना का भी अपमान हुआ है।

अध्यादेश आपातकालीन उपचार है। सामान्यतया इस असाधारण हथियार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अध्यादेश असाधारण परिस्थितियों में ही जारी होता है। अध्यादेश वस्तुतः घर बैठे नया कानून बनाना है। इस कानून का मसौदा मंत्रिपरिषद बनाती है। मसौदे में कानून के उद्देश्य और कारण भी होते हैं। कारण में तात्कालिक महत्व भी बताया जाता है। एक टीवी बहस में मैंने केंद्रीय मंत्री हरीश रावत से विवादित अध्यादेश की तात्कालिकता के कारण पूछे। आखिरकार देश के सामने फौरन अध्यादेश लाने का क्या संकट था? लेकिन मंत्री उत्तर नहीं

बेशक राहुल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अध्यादेश और विधेयक का फैसला सोनिया गांधी की कांग्रेस ने ही लिया था। भयग्रस्त प्रधानमंत्री विकल्पहीन हो गए। मूलभूत प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति केंद्रीय सत्ता प्राधिकार से बड़ा कैसे हो गया? भारत में सरकार कौन चला रहा है? क्या राहुल परासंवैधानिक सत्ता हैं? वे यही काम शालीनता से भी करवा सकते थे। प्रधानमंत्री स्वयं संशोधन आदि के बहाने अध्यादेश वापस कर सकते थे। इससे प्रधानमंत्री की भद न पिटती, लेकिन राहुल को हीरो सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की पिटाई की गई।

दे सके। जाहिर है कि केंद्र कांग्रेस और सहयोगी दलों के दागी नेताओं को फौरन सुरक्षा कवच देने के लिए तत्पर था। इसी तत्परता में संसद में लंबित विधेयक पर अध्यादेश बनाया गया, लेकिन सामान्यतया अध्यादेश को लोकतांत्रिक नहीं माना जाता।

विधि निर्माण संसद का ही काम है। लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बीच अध्यादेश को लेकर लंबा पत्राचार चला। मावलंकर ने 17 जुलाई, 1954 को पंडित नेहरू को लिखा कि अध्यादेश जारी करना अलोकतांत्रिक है। जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, हम अध्यादेश जारी करने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इन्हें अलोकतांत्रिक क्यों कहा जाता है? विवादित अध्यादेश का कोई औचित्य नहीं था। इसकी कोई तात्कालिकता भी नहीं थी। राष्ट्रीय जिज्ञासा यह है कि ताजा अध्यादेश की विशेष अविलंबनीयता क्या थी? और अब अध्यादेश वापसी के बाद वही तात्कालिकता क्यों समाप्त हो गई है?

कानून बनाना संसद का काम है। संसद जब नहीं चलती तब विशेष परिस्थिति में ही राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के अधिकार हैं। अध्यादेशों की वांछनीयता पर संसद में तमाम बहसें हुई हैं। अध्यक्षों का मत रहा है कि अध्यादेश का अस्तित्व में आना राष्ट्रपति की इस संतुष्टि पर निर्भर है कि संबंधित विषय में तत्काल कार्रवाई जरूरी है। तात्कालिकता के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देते समय सरकार अपने उत्तरदायित्व को किसी अन्य के साथ नहीं बांट सकती। अध्यादेश की तात्कालिकता बताने का अधिकार सिर्फ मंत्रिपरिषद में ही निहित है, लेकिन सरकार ने दागी नेताओं को बचाने के लिए अध्यादेश की तात्कालिकता के संबंध में अपनी जिम्मेदारी कांग्रेस के साथ साझा की। फिर केंद्र ने तात्कालिकता और औचित्य को बकवास व फाड़ फेंकने लायक बताने वाले राहुल को सिर-माथे लिया। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का विधि प्रस्ताव 'बकवास' सिद्ध हुआ। मंत्रिपरिषद का प्राधिकार भी बकवास सिद्ध हो गया। बेशक जनभावना इस अध्यादेश के खिलाफ थी, लेकिन सरकार ने जनभावना की उपेक्षा की। अंततः मसाला फिल्म की तरह हीरो आया। उसने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्राधिकार को बकवास बताया।

संप्रग कुनबा दयनीय हालत में है। कांग्रेस ने दागी नेताओं को सुरक्षा कवच देने के लिए ही यह अध्यादेश बनाया था। सोनिया गांधी की भी सहमति थी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध के चलते कांग्रेस डर गई। राष्ट्रपति का प्रश्नवाचक दृष्टिकोण भी सामने था। आनन-फानन में नई रणनीति बनी। कांग्रेसी परंपरा के अनुसार सारे अच्छे का श्रेय प्रथम परिवार को ही मिलता है और 'बकवास' की बदनामी प्रधानमंत्री के चालू खाते में जाती ही है। राहुल ने प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी की प्रतीक्षा नहीं की। प्रधानमंत्री को लिखे कथित पत्र का इंतजार भी नहीं किया। राहुल ने अपनी प्रेस वार्ता भी नहीं बुलाई। वह अचानक माकन की प्रेस वार्ता में घुसे। अध्यादेश की नियति का फैसला हो गया। प्रधानमंत्री लाचार हैं। राहुल हीरो हैं या नहीं? इसका फैसला आगामी चुनाव में मतदाता करेंगे, लेकिन हालिया घटनाक्रम का निष्कर्ष साफ है कि देश का संविधान तंत्र विफल हो गया है। ■

(लेखक उप्र विधानपरिषद के सदस्य हैं)

(साभार- दै. जागरण)

विधि निर्माण संसद का ही काम है। लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बीच अध्यादेश को लेकर लंबा पत्राचार चला। मावलंकर ने 17 जुलाई, 1954 को पंडित नेहरू को लिखा कि अध्यादेश जारी करना अलोकतांत्रिक है। जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, हम अध्यादेश जारी करने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इन्हें अलोकतांत्रिक क्यों कहा जाता है? विवादित अध्यादेश का कोई औचित्य नहीं था। इसकी कोई तात्कालिकता भी नहीं थी। राष्ट्रीय जिज्ञासा यह है कि ताजा अध्यादेश की विशेष अविलंबनीयता क्या थी?

संप्रग कुनबा दयनीय हालत में है। कांग्रेस ने दागी नेताओं को सुरक्षा कवच देने के लिए ही यह अध्यादेश बनाया था। सोनिया गांधी की भी सहमति थी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध के चलते कांग्रेस डर गई। राष्ट्रपति का प्रश्नवाचक दृष्टिकोण भी सामने था। आनन-फानन में नई रणनीति बनी। कांग्रेसी परंपरा के अनुसार सारे अच्छे का श्रेय प्रथम परिवार को ही मिलता है और 'बकवास' की बदनामी प्रधानमंत्री के चालू खाते में जाती ही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश

✍ जोगिन्दर सिंह

चारा घोटाला सीबीआई की जांच के दायरे में आने से काफी पहले से ही हो रहा था। उससे तो कहीं पहले से जब 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चारा घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा पटना उच्च न्यायालय या उसके द्वारा गठित बेंच की निगरानी में की जाए। वैसे चारा घोटाले को लेकर 'बिहार विजिलेंस' द्वारा सार्वजनिक हित याचिका 1990 में दायर की गई थी। लेकिन यह उपेक्षित रही क्योंकि इससे बिहार में प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के छत्ते की परत-दर-परत खुल जातीं। 30 सितम्बर, 2013 को चारा घोटाले में 45 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ ही राज्य के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और राज्य में तैनात रहे अनेक पूर्व नौकरशाह शामिल हैं। संभवत: यह पहला मौका है जब दो मुख्यमंत्रियों, वह भी परस्पर विरोधी पार्टियों से संबंध रखने वाले को एक ही मामले में दोषी ठहराया गया है।

इस मामले से पता चलता है कि किस प्रकार विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने नौकरशाहों के साथ मिल कर उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया जो पशुओं, उनकी दवाओं और बीमार पशुओं को लाने-ले जाने के लिए नियत किया गया था। चारा घोटाले में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा जदयू सांसद जगदीश शर्मा तथा तीन पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। इन सबको चाईबासा ट्रेजरी से भ्रष्ट तरीके अपना कर 37.7 करोड़ रुपए की धनराशि निकालने का दोषी पाया गया है। चारा घोटाले में से केवल दो ही मामले बिहार में हैं। इसलिए कि अन्य मामले नए बने राज्य झारखंड में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इस प्रकार कुल 55 मामलों में से 53 का ट्रायल झारखंड में चला या चल रहा है।

अभी स्थिति यह है कि 46 मामलों का निपटारा हो गया है और 9 मामले लंबित हैं। इन मामलों में आरोपियों की संख्या 600 के करीब है। इनमें से 550 को दोष सिद्ध पाया गया है। इस मामले को लेकर मेरी खासी आलोचना की गई। और सरकार के उच्चतम स्तर तक से दबाव भी बनाया गया। दबाव इस तरह का रहा कि मामले को आगे न बढ़ाऊं। लेकिन मैंने इसे अनदेखा किया।

चारा घोटाले में दोषसिद्धि की दर 90 प्रतिशत से ज्यादा है। यह न केवल बेमिसाल है, बल्कि आंखें खोल देने वाली है कि भारतीय पुलिस किसी भी जटिल से जटिल मामले की परतें खोलने में सक्षम है। शर्त यह है कि उसे कामकाजी स्वतंत्रता दी जाए या उसके काम में दखल न दिया जाए। सीबीआई में मौजूद कुछ काली भेड़ों और कुछ बहुत उच्च अधिकारियों के अलावा मुझे उन राजनेताओं से भी जूझना पड़ा, जो 'जोगिन्दर हटाओ' अभियान चलाए हुए थे। अप्रैल, 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुझे इसलिए बुला भेजा कि मैं 'बे-वजह की कार्रवाई' को अंजाम दे रहा हूं। उन्होंने जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को 'सार्वजनिक' किए जाने के लिए मुझ पर नाराजगी भी जताई।

यहां यह ध्यान रखने की बात है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की कड़ी आलोचना कर रहे थे। यह सम्मेलन 'जिम्मेदार और प्रभावी सरकार के लिए कार्रवाई योजना' पर चर्चा करने के लिए आहूत किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने सीधे मेरा नाम तो नहीं लिया लेकिन परोक्ष रूप से चारा घोटाले का जिक्र

चारा घोटाले को लेकर 'बिहार विजिलेंस' द्वारा सार्वजनिक हित याचिका 1990 में दायर की गई थी. लेकिन यह उपेक्षित रही क्योंकि इससे बिहार में प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के छत्ते की परत-दर-परत खुल जातीं। 30 सितम्बर, 2013 को चारा घोटाले में 45 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ ही राज्य के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और राज्य में तैनात रहे अनेक पूर्व नौकरशाह शामिल हैं। संभवत: यह पहला मौका है जब दो मुख्यमंत्रियों, वह भी परस्पर विरोधी पार्टियों से संबंध रखने वाले को एक ही मामले में दोषी ठहराया गया है।

जरूर किया जो उस समय खबरों में था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वह हाई प्रोफाइल मामलों में सीबीआई द्वारा की जा रही जांचों को लेकर नाराज दिखे। इस बात पर भी नाखुश थे कि मामलों को 'लीक' कर दिया जा रहा है। 'बे-वजह' शब्द का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा था कि अदालत में मामले पहुंचने से पहले ही लोगों को 'प्रोसिक्यूट' किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह जो 'पब्लिकली-ओरियेंटिड' जांच है, इसका हमें कुछ निदान निकालना होगा। प्रचार के साथ जांच से मुझे कई बार मुझे लगता है कि कुछ लोगों (जैसा कि मैं) में दिखावे की प्रवृत्ति होती है, जो सोचते हैं कि किसी जांच के मामले में जनता को जानना ही चाहिए कि जांच किस प्रकार से हो रही है।' बहरहाल, मुझे तो फूलों की जगह कांटे सहेजने की आदत-सी हो गई थी।

एक संवाददाता ने मेरे इंटरपोल से लौटने के बाद हवाई अड्डे पर मामूली जगह पर मेरे तबादले के बारे में सवाल किया तो मैं मुस्करा पड़ा। मुस्कराहट में शरारत जरूर थी। मैंने कहा, 'शानदार तबादला, कोई काम नहीं और वेतन पहले जितना ही।' मैंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता और देशहित में कुछ नैतिकताओं और तकाजों को अंजाम देते हुए एक नम्र पब्लिक सर्वेंट के तौर पर बहुत मामूली कीमत चुकाई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी अनेक नजीरें अभी सामने आएंगी जब भ्रष्टाचार के मामलों में दोष सिद्धि होंगी। जैसा कि अभी राज्यसभा सांसद रशीद मसूद का मामला आया है जिन्हें भ्रष्ट आचरण में दोषी पाया गया है और उन्हें चार साल की सजा सुनाई गई है।

प्रधानमंत्री ने इस मामले को प्रेस में ले जाने को लेकर मुझसे बात की। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझसे इस पर नाराजगी जताई। मैंने उनसे कहा कि मैं प्रेस को बता रहा हूं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता और सीबीआई क्या करने जा रही है। वह हंसे और मुझसे सहमति जताई। और मुझे एक चुटकला सुना दिया-'आपकी हालत उस व्यक्ति जैसी है, जिसे तलब किया जाता है कि उसने क्या अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया है। यदि वह 'हां' कहता है तो साबित होता है कि वह पहले अपनी पत्नी को पीटता था और वह 'नहीं' में जवाब देता है तो साबित होता है कि पहले भी वह अपनी पत्नी को पीटता था और अब भी पीट रहा है।

हालांकि वह कई बार मुझसे नाराजगी जता चुके थे लेकिन हम दोनों की तरफ से एक प्रकार का सौहार्द और एक-दूसरे के प्रति सम्मान था। मैं उनकी राजनीतिक मजबूरी को समझ सकता था। और वह भी मेरी वैधानिक और व्यक्तिगत मजबूरियों को समझ सकते थे। जब भी वह मुझे मिले मेरे मन में उनके प्रति पूरा सम्मान और सौहार्द रहता। कई बार मुझे कुछ बयानों से ऐसा लगता कि क्या सरकार भ्रष्टाचार से लड़ रही है या फिर उन लोगों से लड़ रही है जो भ्रष्टाचार को मिटाने में जुटे हैं।

अब ज्यादा न कहते हुए यह अपने सुधि पाठकों पर ही छोड़ देता हूं, फैसला करें कि मेरी गलती क्या थी। मैं इस मामले में किसी को दोषी ठहराए जाने पर कोई शाबाशी दिए जाने की अपेक्षा नहीं करता। आखिर क्रिया या कार्रवाई का कोई न कोई कारण होता है। आज हम जो पा रहे हैं, हमारे बीते कल में किए का ही पा रहे हैं। किसी मामले को फैसले के तार्किक अंजाम तक पहुंचाने में कांस्टेबल से लेकर निदेशक तक एक टीम की तरह जुटते हैं। किसी भी काम में दिक्कतें, बाधाएं आना स्वाभाविक हैं। फिर पुलिस का काम तो वैसे भी सुहावता नहीं माना जाता। बहरहाल, सीबीआई ने बेईमान नौकरशाहों और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों तक यह संदेश भेजने में सफलता पाई है, 'सावधान, आप पर नजर है।' कइयों को सीबीआई की जांच से निकले नतीजे से खुशी नहीं होगी। लेकिन जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। सीबीआई ने अपना काम बखूबी किया है।

मामले की जांच के दौरान मेरा तबादला कोई ऐसी बड़ी कीमत नहीं थी। एक संवाददाता ने मेरे इंटरपोल से लौटने के बाद हवाई अड्डे पर मामूली जगह पर मेरे तबादले के बारे में सवाल किया तो मैं मुस्करा पड़ा। मुस्कराहट में शरारत जरूर थी। मैंने कहा, 'शानदार तबादला, कोई काम नहीं और वेतन पहले जितना ही।' मैंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता और देशहित में कुछ नैतिकताओं और तकाजों को अंजाम देते हुए एक नम्र पब्लिक सर्वेंट के तौर पर बहुत मामूली कीमत चुकाई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी अनेक नजीरें अभी सामने आएंगी जब भ्रष्टाचार के मामलों में दोष सिद्धि होंगी। जैसा कि अभी राज्यसभा सांसद रशीद मसूद का मामला आया है जिन्हें भ्रष्ट आचरण में दोषी पाया गया है और उन्हें चार साल की सजा सुनाई गई है। ■

(श्री सिंह सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं)

(साभार- राष्ट्रीय सहारा)

भाजपा महिला मोर्चा

यूपीए की गलत नीतियों के कारण देश गर्त में : सरोज पांडेय

संवाददाता द्वारा

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की सांसद डॉ. सरोज पाण्डेय 2 अक्टूबर 2013 को उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक में सम्मिलित हुई। महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक में समस्त प्रदेश पदाधिकारी और काफी संख्या में

उड़ीसा राज्य से कोने-कोने से महिला भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थी। प्रदेश स्तरीय महिला मोर्चा के कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुआल ओराम, के.बी. सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती जेना, सुरेश पुजारी प्रदेश महासचिव भाजपा, उपस्थित रहे।

भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की सांसद डॉ. सरोज पाण्डेय ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कहा कि आज देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यह सब केन्द्र में काबिज कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की गलत रीति-नीति के कारण हो रहा है, यह अजीब विडम्बना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास सरकार में निहित सभी शक्तियां हैं जबकि वह किसी भी संवैधानिक पद नहीं है और एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिह हैं जिनके पास संवैधानिक शक्तियां होने के बावजूद भी कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

कांग्रेस पार्टी ने इस देश के प्रधानमंत्री का अवमूल्यन कर दिया है। यह अवमूल्यन इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे छोटे से पड़ोसी देश पाकिस्तान के मुखिया भी प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने लगे हैं। इस देश को सशक्त, ईमानदार एवं देशहित में कार्य करने वाले प्रधानमंत्री की आवश्यकता है।

भाजपा ने स्वच्छ छवि एवं कुशल प्रशासक गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। भाजपा की महिला मोर्चा ने भी यह संकल्प लिया है कि संगठन के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आने वाले समय में होने वाले मिशन 2013-14 में भाजपा विजय बनाने हेतु पुरजोर तरीके से कार्य करेंगे एवं आने वाले स्वतंत्रता दिवस लालकिले के प्राचीर से भाजपा का कार्यकर्ता ध्वाजारोहण करे इस हेतु आज से ही जुट जायेंगे।

प्रदेश स्तरीय महिला मोर्चा की बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुएल ओराम, के.बी. सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती जेना, सुरेश पुजारी प्रदेश महासचिव भाजपा ने भी सम्बोधित किया।

इस महिला मोर्चा की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रोजी मलिक, सूरमा पाड़ी प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, विश्वभूषण हरिचंदन सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा, प्रसन्न कुमार मिश्रा प्रदेश संगठन महामंत्री सहित काफी संख्या में भाजपा महिला कार्यकर्तागण उपस्थित थे। ■

बाल आपटे की पुस्तक 'नेशन फर्स्ट' का विमोचन

आपटेजी के लेखों में विचारधारा की झलक मिलती है : लालकृष्ण आडवाणी

गत 30 सितम्बर को भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा नेता स्वर्गीय श्री बाल आपटे के कुछ चुनिंदा भाषणों और लेखों का संकलन 'नेशन फर्स्ट' पुस्तक का नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विमोचन किया। इस समारोह की अध्यक्षता रा.स्वं.सं. के सरकार्यवाह श्री भैय्याजी जोशी ने की। मंच पर रा.स्वं.सं. के सहसरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबले और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री विनय सहस्रबुद्धे विराजमान थे। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली ने किया है।

इस अवसर पर अपने भाषण में श्री आडवाणी ने कहा कि विश्व में संघ और इसके सहयोगी संगठनों जैसा कोई अन्य संगठन नहीं है, जिसने राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया हो। उन्होंने कहा कि श्री बाल आपटे के लेखों में संघ की सम्पूर्ण विचारधारा की झलक देखने को मिलती है और 'नेशन फर्स्ट' पुस्तक में सरांश में इस विचारधारा का वर्णन है।

श्री भैय्याजी जोशी ने कहा कि बाल आपटे जी ने कभी भी मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने श्रेष्ठ जीवन जिया। उन्होंने कभी भी लोगों को अपना 'अनुयायी' नहीं बनाया, अपितु उन्हें अपना 'साथी' बनाया। श्री जोशी ने आगे कहा कि आपटे जी तो एक मार्गदर्शी उज्ज्वल सितारे की तरह बन कर सभी को रास्ता दिखाते रहे।

डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि आपटेजी एक सक्रिय कार्यकर्ता और एक महान चिंतक थे, अत: यह आवश्यक था कि ऐसे व्यक्ति के विचारों को कलमबंद किया जाए।

श्री दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि वर्तमान पुस्तक उनके अंग्रेजी भाषणों और लेखों का संकलन है और उनके हिन्दी तथा मराठी लेखों की एक अलग पुस्तक बाद में प्रकाशित की जाएगी। श्री होसबले ने उनके संस्मरण याद करते हुए कहा कि आपटे जी बहुत स्पष्ट बात करते थे, परन्तु कड़ी बात कहने भी संकोच नहीं करते थे।

वे उत्कृष्ट प्रतिभा के व्यक्ति थे और सदैव अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान अपने पारिवारिक सदस्यों के समान किया करते थे। ■